खण्ड ४—अंक ४७

२३ अप्रैल, १९५५ (शनिवार)

LOK SABHA SECRETARIAT
Receipt No 96.......
Diary No ....

लोक-सभा
वाद-विवाद

(भाग, २--प्रश्नोत्तर के अतिरिक्त कार्यवाही)

1st Lok Sabha
(Session IX)

सत्यमेव जयते

(खण्ड ४ में अंक ४६ से अंक ५८ तक हैं)

लोक-सभा सचिवालय,
नई दिल्ली।

६ आने (देश में) २ शिलिंग (विदेश में)

94 LSD

विषय-सूची

	स्तम्भ
भारत का राज्य बैंक विधेयक—	
विचार करने का प्रस्ताव—असमाप्त . . .	४६८५—४७७०
श्री ए० सी० गुह . . .	४६८५—४७०६
श्री बी० दास	४७०६—०८
श्री एच० एन० मुकर्जी . . .	४७०८—१४
श्री एन० सी० चटर्जी . . .	४७१४—१८
श्री एस० एल० सक्सेना . . .	४७१८—२३
श्री बर्मन . .	४७२३—२५
कुमारी एनी मैस्करीन . . .	४७२५—२८
श्री एन० आर० मुनिस्वामी . .	४७२८—३१
श्री मूलचन्द दुबे	४७३१—३४
श्री एन० एम० लिंगम्	४७३४—३७
श्री आर० डी० मिश्र	४७३७—४६
श्री जी० आर० नरसिंहन् . .	४७४६—४८
श्री के० पी० त्रिपाठी	४७४८—५१
श्री तुलसीदास	४७५१—५४
श्री टी० एस० ए० चेट्टियार . . .	४७५५—६०
श्री मात्तन	४७६०—६४
श्री एन० राचय्या	४७६४—६६
श्री एस० सी० सामन्त	४७६६—६८
श्री शेषगिरि राव . . .	४७६८-६९
श्री साधन गुप्त . . .	४७६९-७०
सभा का कार्य	४७७०

अंक ४६—शुक्रवार, २२ अप्रैल, १९५५

स्तम्भ

पटल पर रखे गये पत्र—
मद्रास मनोरंजन कर आन्ध्र (संशोधन) अधिनियम, १९५५ . ४५९१
आन्ध्र भवन अधिग्रहण (संशोधन) अधिनियम, १९५५ ४५९१
आन्ध्र सिनेमा (विनियमन) अधिनियम, १९५५ . . ४५९२
भारतीय विमान नियम, १९३७ में संशोधन, एक व्याख्यात्मक टिप्पण ४५९२
सहित—चाय नियम, १९५४ में संशोधन . . ४५९२
सम्पदा शुल्क नियम, १९५३, में संशोधन . ४५९२—४५९३
विदेशी व्यक्तियों का पंजीयन अधिनियम, १९३९ के अन्तर्गत विमुक्ति की घोषणा— . . . . . . ४५९३—४५९४
१९५५-५६ के लिये अनुदानों की मांगें (रेलवे) के बारे में सदस्यों के ज्ञापनों के उत्तर . . . ४५९४
राज्य सभा से सन्देश . . . ४५९४
गैर सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति—
सत्ताईसवां प्रतिवेदन—उपस्थापित . . ४५९४
अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना—
किरकी में सेना के वर्कशाप के व्यक्तियों द्वारा हड़ताल ४५९५—९७
सभा का कार्य . . ४५९७
वित्त-विधेयक . . ४५९७—४६०९
अनुसूचियां तथा खंड १
संशोधित रूप में पारित करने का प्रस्ताव स्वीकृत . . . ४६०९—४६३०
प्रधान सेनापति (पद नाम में परिवर्तन) विधेयक विचार करने का प्रस्ताव स्वीकृत ४६३०—४६३४
खंड १ से ३ तथा अनुसूची ४६३२—४६३३
भारत में राज्य बैंक विधेयक— ४६३४
विचार करने का प्रस्ताव—असमाप्त ४६३५
गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों संम्बधी समिति—
अट्ठाईसवां प्रतिवेदन—स्वीकृत. ४६३६
बाटों तथा नापों के बारे में संकल्प—संशोधित रूप में पारित . . ४६३६—४६५५
केन्द्रीय कृषिवित्त निगम के बारे में संकल्प—असमाप्त . . ४६५५—४६८४

अंक ४७— शनिवार, २३ अप्रैल, १९५५

भारत का राज्य विधेयक—
विचार करने का प्रस्ताव—असमाप्त . . ४६८५—४७७०
सभा का कार्य ४७७०

संख्या ४८—सोमवार, २५ अप्रैल, १९५५

स्थगन प्रस्ताव—
पुर्तगाली प्राधिकारियों द्वारा कतिपय सत्याग्रहियों का निर्वासन . . ४७७१—४७७२
विधेयकों पर राष्ट्रपति की अनुमति — . . . . .

	स्तम्भ
समितियों के लिये निर्वाचन—	
भारतीय केन्द्रीय सुपारी समिति	४७७२–४७७३
प्राक्कलन समिति	४७७३
लोक-लेखा समिति	४७७३
राज्य सभा के सदस्यों को लोक-लेखा समिति में रखने के बारे में प्रस्ताव—स्वीकृत	४७७४
अखिल भारतीय खादी तथा ग्रामोद्योग आयोग विधेयक—पुरःस्थापित—	४७७४
भारत का राज्य बैंक विधेयक—	
विचार के लिये प्रस्ताव—स्वीकृत	४७७४–४८७८
राज्य सभा से सन्देश—	४८७८
अंक ४९—मंगलवार, २६ अप्रैल, १९५५	
पटल पर रखे गये पत्र—	
अचल सम्पत्ति अधिग्रहण तथा अर्जन अधिनियम के अधीन अधिसूचना	४८७९
भारत में प्रथम साधारण निर्वाचन सम्बन्धी प्रतिवेदन, १९५१–५२—खंड १ (साधारण)	४८७९
समुद्र सीमा शुल्क अधिनियम के अधीन अधिसूचनायें	४८७९–४८८०
बीमा (संशोधन) विधेयक—	४८८०–४८८७
विचार करने का प्रस्ताव—स्वीकृत	४८८०–४८८२
श्री बी० आर० भगत	४८८२–४८८४
श्री के०के० बसु	४८८४–४८८५
श्री मात्तन	४८८७
खण्ड १ और २	४८८७
पारित करने का प्रस्ताव—स्वीकृत	
भारत का रक्षित बैंक श्री बी० आर० भगत (संशोधन) विधेयक—	
विचार करने का प्रस्ताव—स्वीकृत	४८८७–४९१६
खण्ड १ से ११	४९१६–४९२०
विचार करने का प्रस्ताव—स्वीकृत	४९२०
भारतीय रेलें (संशोधन) विधेयक—	
विचार करने का प्रस्ताव—स्वीकृत	४९२०–४९२२
खण्ड १ और २	४९२२
पारित करने का प्रस्ताव—स्वीकृत	४९२२
हिंदू विवाह विधेयक—	४९२२–४९८४
विचार करने का प्रस्ताव—असमाप्त	४९२४
राज्य सभा से संदेश	४९८२
अंक ५०—बुधवार, २७ अप्रैल, १९५५	
गैर सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति उनतीसवां प्रतिवेदन—उपस्थापित	४९८५
तारांकित प्रश्न संख्या २२८२ के उत्तर में शुद्धि	४९८५–४९८६
अस्पृश्यता (अपराध) विधेयक—	
संयुक्त समिति द्वारा प्रतिवेदित रूप में विचार करने का प्रस्ताव—स्वीकृत	४९८६–५०९०
खण्ड २	

स्तम्भ

अंक ५१—गुरुवार, २८ अप्रैल, १९५५

पटल पर रखे गये पत्र—

१९५५–५६ के लिये अनुदानों की मांगें (रेलवे) के बारे में सदस्यों के ज्ञापनों के उत्तर ५०७९

राज्य सभा से संदेश . . . ५०७९

सभा का कार्य . . . ५०८०–५०८१,५१८६

अस्पृश्यता (अपराध) विधेयक

खंड ३ से १७ और अनुसूची . . . .

संशोधित रूप में पारित करने का प्रस्ताव—स्वीकृत . . . ५०८१–५१८०

हैदराबाद निर्यात शुल्क (मान्यीकरण) विधेयक—

विचार करने का प्रस्ताव—स्वीकृत . ५१८०–५१८४

खण्ड १ और २ ५१८५

पारित करने का प्रस्ताव—स्वीकृत . ५१८५–५१८६

अंक ५२—शुक्रवार, २९ अप्रैल, १९५५

राज्य सभा से सन्देश . . . ५१८७

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग विधेयक—

संयुक्त समिति के प्रतिवेदन के उपस्थापन के लिये समय का बढ़ाया जाना ५१८७–५१८८

सभा का कार्य— ५१८९–५१९८,५२०२

हिन्दू विवाह विधेयक, राज्य सभा से पारित रूप में—

विचार करने का प्रस्ताव—असमाप्त . . . ५१८९,५१९८,५२०२

गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति—

सत्ताईसवां तथा उनतीसवां प्रतिवेदन—स्वीकृत . ५२३०–५२३१

भारतीय बाल दत्तक-ग्रहण विधेयक—पुरःस्थापित . . . ५२३१

जाति भेद उन्मूलक विधेयक .

विचार करने का प्रस्ताव—अस्वीकृत . . ५२३१–५२४४

अधिकृत लेखापाल (संशोधन) विधेयक

विचार करने का प्रस्ताव—वापस लिया गया . . . ५२४५–५२६५

दंड प्रक्रिया संहिता (संशोधन) विधेयक (धारा ४३५ का संशोधन)

विचार करने का प्रस्ताव—असमाप्त ५२६५–५२८०

अंक ५३—शनिवार, ३० अप्रैल, १९५५

पटल पर रखे गये पत्र—

एयर इण्डिया इण्टरनेशनल कारपोरेशन का प्रथम प्रतिवेदन . . ५२८१

संचार मंत्रालय अधिसूचना संख्या एस० आर० ओ० ५८९, दिनांक १२-३-५५ . . . . . ५२८१

सभा की बैठकों में सदस्यों की अनुपस्थिति सम्बन्धी समिति—नवां प्रतिवेदन —उपस्थापित . ५२८२

प्राक्कलन समिति— स्तम्भ

कार्यवाही उपस्थापित ५२८२

बांडुंग में हुए अफ्रेशियाई सम्मेलन के बारे में वक्तव्य . . . ५२८२–५२९५

भारत का राज्य बैंक विधेयक—

खंडों पर विचार—समाप्त . . ५२९५–५४५८

खंड २ से ५३ और १ . . . ५२९५–५४३०

अनुसूची एक से चार ५४३०–५४५८

संशोधित रूप में पारित करने का प्रस्ताव—स्वीकृत . ५४५८–५४७२

सरकारी मकानादि (निष्कासन) संशोधन विधेयक—

प्रवर समिति के प्रतिवेदन के उपस्थापन के लिये समय—बढ़ाया जाना . ५४७२–५४७४

अंक ५४—सोमवार, २ मई, १९५५

स्थगन प्रस्ताव—

कानपुर में श्रम स्थिति . ५४७५–५४७७

विधेयकों पर राष्ट्रपति की अनुमति ५४७७

राज्य-सभा से सन्देश ५४७८

पटल पर रखे गये पत्र—

दिल्ली सड़क परिवहन प्राधिकार, १९५३–५४ के संतुलन पत्र और लेखा-परीक्षा प्रतिवेदन आदि ५४७८

दिल्ली राज्य विद्युत बोर्ड का १९५४–५५ का पुनरीक्षित प्राक्कलन और १९५५–५६ का आयव्ययक प्राक्कलन . . ५४७९

याचिका समिति—

पंचम प्रतिवेदन—उपस्थापित ५४७९

अनुपस्थिति की अनुमति . . . ५४७९

अविलम्बनीय लोक-महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना—

संघ लोक सेवा आयोग की परीक्षाओं में हिन्दी का प्रयोग ५४८०–५४८२

नागरिकता विधेयक —पुरःस्थापित . . ५४८२

भारतीय प्रशुल्क (संशोधन) विधेयक—पुरःस्थापित . . ५४८३

हिन्दू विवाह विधेयक, राज्य सभा द्वारा पारित रूप में, विचार करने का प्रस्ताव—स्वीकृत . ५४८३–५५६८

समवाय विधेयक—

संयुक्त समिति का प्रतिवेदन—उपस्थापित ५५६८

सभा का कार्य ५६१४

अंक ५५—मंगलवार, ३ मई, १९५५

पटल पर रखे गये पत्र—

लोक-ऋण (प्रतिकर बंध) नियम, १९५४ ५६१५–५६१६

लोक-ऋण (वार्षिकी पत्र) नियम, १९५४ ५६१५–५६१६

स्तम्भ

अधीनस्थ विधान सम्बन्धी समिति ६१६
तृतीय प्रतिवेदन—उपस्थापित ५६१६
समितियों के लिये निर्वाचन—
भारतीय केन्द्रीय सुपारी समिति . . ५६२२
टेकनिकल शिक्षा की अखिल भारतीय परिषद् . . .
ब्रिटेन से आने वाले सूती वस्त्र पर आयात शुल्क में कमी के बारे में वक्तव्य ५६१६–५६१७
अविलम्बनीय लोक-महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना
कोसी परियोजना के काम के सम्बन्ध में आरोप ५६१७–५६२२
हिन्दू विवाह विधेयक—
खंडों पर विचार—असमाप्त ५६२३–५७५२
खंड २ से १२ . ५६२३–५७५२

अंक ५६—बुधवार, ४ मई, १९५५

स्थगन प्रस्ताव—
पुर्तगाली प्राधिकारियों द्वारा कुछ सत्याग्रहियों का निर्वासन . ५७५३–५७५८
कानपुर में श्रम स्थिति ५७५८–५७६२
पटल पर रखे गये पत्र—
प्रशुल्क और व्यापार सम्बन्धी सामान्य करार का पुनर्विलोकन . . ५७६२
सरकार द्वारा आश्वासनों आदि पर की गई कार्यवाही के विवरण . ५७६२–५७६३
अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिमजातियों के आयुक्त का ३१ दिसम्बर, १९५४ को समाप्त होने वाली अवधि का वार्षिक प्रतिवेदन . ५७६४
समवाय विधेयक पर साक्ष्य . ५८४८
राज्य सभा से सन्देश . . ५७६४–५७६८
दंड प्रक्रिया संहिता (संशोधन) विधेयक—
राज्य सभा द्वारा संशोधनों सहित लौटाये गये रूप में पटल पर रखा गया . ५७६८
हिन्दू विवाह विधेयक, राज्य सभा द्वारा पारित किये गये रूप में खंडों पर विचार—असमाप्त ५७६८–५८४७, ५८४८–५९१६
खंड ९ से १२ . . ५७६८–५७७९
खंड १३ से १८ . . ५७७९–५८४७
खंड १९ से २३ . . ५८७२–५८९२
खंड २४ से २८ . . ५८९२–५९१६

अंक ५७—गुरुवार, ५ मई, १९५५

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना—
हिन्दी आयोग की नियुक्ति . . ५९१७–५९१९
राज्य सभा से सन्देश ५९१९

	स्तम्भ
आश्वासनों सम्बन्धी समिति—	
दूसरा प्रतिवेदन—उपस्थापित . . .	५९१९
तारांकित प्रश्न संख्या २४३५ के उत्तर में शुद्धि .	५९१९
हिन्दू विवाह विधेयक—	
खंडों पर विचार—समाप्त	५९२०
खंड २४ से ३० और १ . .	५९२०–५९४१
पारित करने का प्रस्ताव—स्वीकृत	५९४१–५९८०
हिन्दू उत्तराधिकार विधेयक—	
संयुक्त समिति के बारे में प्रस्ताव—असमाप्त .	५९८१–६०६८

अंक ५८—शनिवार, ७ मई, १९५५

पटल पर रखे गये पत्र—	
१९५५–५६ के लिये अनुदानों की मांगों (रेलवे) के बारे में सदस्यों के ज्ञापनों क उत्तर	६०६९
सिंचाई और विद्युत परियोजनाओं पर आय-व्ययक वाद-विवाद में उठाई गई बातों के बारे में ज्ञापन	६०६९–६०७०
हीराकुड बांध परियोजना में अनियमितताओं पर की गई कार्यवाही की प्रगति के बारे में वक्तव्य	६०७०
तारांकित प्रश्न संख्या १७५० के उत्तर में शुद्धि	६०७०–६०७१
पांडिचेरी की वस्त्र मिलों के बारे में वक्तव्य .	६०७१–६०७३
अविलम्बनीय लोक-महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना	
केन्द्रीय उत्पादन-शुल्क विभाग में बेकारी . .	६०७३–६०७५
लोक-प्रतिनिधित्व (संशोधन) विधेयक—वापस लिया गया	६०६५–६०७६
व्यवहार प्रक्रिया संहिता (संशोधन) विधेयक—पुरःस्थापित .	६०७६
भारतीय टंकन (संशोधन) विधेयक—पुरःस्थापित .	६०७६–६०७७
भूमि सीमा शुल्क (संशोधन) विधेयक—पुरःस्थापित	६०७७
सभा का कार्य	
अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिमजातियों के आयुक्त का प्रतिवेदन	६०७७–६०७८
हिन्दू उत्तराधिकार विधेयक—	
संयुक्त समिति के बारे में प्रस्ताव—असमाप्त	६०७८–६१८७
श्री चिनारिया का निधन—	६१८७–६१८८

लोक-सभा

शनिवार, २३ अप्रैल, १९५५

लोक-सभा ग्यारह बजे समवेत हुई।

[उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुऐ]

प्रशनोत्तर

(प्रश्न नहीं पूछे गये—भाग १ प्रकाशित नहीं हुआ)

भारत का राज्य बैंक विधेयक—जारी

उपाध्यक्ष महोदय : सभा अब श्री अरूण चन्द्र गुह द्वारा २२ अप्रैल १९५५ को प्रस्तावित इस प्रस्ताव पर अग्रेतर विचार करेगी :

"कि भारत के लिये एक राज्य-बैंक स्थापित करने उसे भारत के इम्पीरियल बैंक के उपक्रम हस्तांतरित करने तथा उससे संबंधित अथवा अनुषंगिक मामलों की व्यवस्था करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये।"

राजस्व और रक्षा व्यय मंत्री (श्री ए० सी० गुह) : मैं ने कल ही यह अत्यन्त महत्वपूर्ण विधेयक विचारार्थ प्रस्तुत किया था। यदि दुर्भाग्यवश माननीय वित्त मंत्री बीमार न होते, तो यह विधेयक उन्हीं के द्वारा रखा जाता जो इस कार्य के लिये मुझ से अधिक योग्य और उपयुक्त हैं। वास्तव में मैं इसे एक गौरव समझता हूं और मुझे बहुत हर्ष है कि इस विधेयक को प्रस्तावित करने का भार मुझे पर सौंपा गया है। अभी हाल के कुछ वर्षों में सभा के समक्ष जितने अत्यधिक महत्वपूर्ण विधान रखे गये हैं, मैं इस विधेयक को उनमें से एक समझता हूं।

इस विधेयक का आशय यह है कि भारत का इम्पीरियल बैंक सरकारी नियंत्रण में ले लिया जाये। यह राष्ट्रीयकरण है अथवा नहीं इस विषय में कुछ गंभीर आपत्तियां हो सकती हैं, क्यों कि विधेयक में यह उपबन्ध है कि नवनिर्मित बैंक के कम से कम ५५ प्रतिशत तक अंश रक्षित बैंक के हाथ में रहेंगे और ४५ प्रतिशत अंश निजी व्यक्तियों के पास रहने दिये जायेंगे। किन्तु मेरी धारणा है कि यह विधेयक सभी उद्देश्यों से भारत के इम्पीरियल बैंक के राष्ट्रीयकरण के लिये है। मैं अभी प्रविधिक बहस में नहीं जाना चाहता किन्तु संक्षेप के लिये मैं "राष्ट्रीयकरण" शब्द का प्रयोग करूंगा और आशा है कि माननीय सदस्य उस पर आपत्ति नहीं करेंगे।

भारत के इम्पीरियल बैंक का राष्ट्रीयकरण एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है और आपने श्री बी० दास ने और अनेक माननीय सदस्यों ने कई बार इम्पीरियल बैंक के राष्ट्रीयकरण की इच्छा प्रकट की थी। मैं निस्संकोच

[श्री ए० सी० गुह]

कह सकता हूं कि जहां तक इस प्रस्थापना का संबन्ध है इस सभा में पूर्ण एक मत है और मैं आशा करता हूं कि सारे देश में भी पर्याप्त एक मत होगा। अतः इम्पीरियल बैंक का राष्ट्रीयकरण स्वतः एक बहुत महत्वपूर्ण विषय है

इस विधेयक का इससे अधिक महत्वपूर्ण उद्देश्य ग्रामीण ऋण का ढांचा तैयार करना है और एक दूसरे परिणाम-स्वरूप विधेयक के द्वारा भारत का रक्षित बैंक अधिनियम को संशोधित किया जायेगा। इस सभा ने विभिन्न अवसरों पर ग्रामीण ऋण के बारे में चिन्ता व्यक्त की है। ग्रामीण ऋण की स्थिति अब तक कभी संतोषजनक नहीं रही है और इस महत्वपूर्ण विधेयक के ज़रिये सरकार उस संबंध में कोई ठोस कार्यवाही करने जा रही है।

मैं इन दोनों पहलुओं पर अलग अलग विचार करूंगा। सर्वप्रथम मैं इम्पीरियल बैंक के बारे में कुछ शब्द कहूंगा। माननीय सदस्यों को मालूम होगा कि वह बैंक १९२० में तीन प्रेसीडेन्सी बैंकों का एकीकरण करके बनाया गया था। भारत के रक्षित बैंक की स्थापना के पूर्व इम्पीरियल बैंक ही वास्तव में केन्द्रीय बैंक के कतिपय कार्य और सभी सरकारी काम करता था। यद्यपि रक्षित बैंक की स्थापना के बाद इम्पीरियल बैंक के द्वारा किये जाने वाले केन्द्रीय बैंक के कार्य रक्षित बैंक को सौंप दिये गये थे। फिर भी कई विषयों में इम्पीरियल बैंक की स्थिति विशिष्ट और महत्वपूर्ण रही। इम्पीरियल बैंक उस प्रत्येक स्थान पर जहां रक्षित बैंक की कोई शाखा नहीं है, रक्षित बैंक का अभिकरता है अतः अनेक स्थानों में इम्पीरियल बैंक रक्षित बैंक और सरकार की ओर से कार्य करता है। चलार्थ का प्रबन्ध इम्पीरियल बैंक का एक महत्वपूर्ण अधिकार है उससे इम्पीरियल बैंक पर्याप्त रोकड़ बाकी के साथ कार्य कर पाता है। चलार्थ के रूप में प्राप्त सुविधाओं के ज़रिये अधिसूचित बैंकों और सरकारी बैंकों को भुगतान करने की व्यवस्था की जाती है और इस उद्देश्य के लिय इम्पीरियल बैंक की मशीनरी अत्यन्त महत्वपूर्ण है। ग्रामीण ऋण सर्वेक्षण ने बिलकुल ठीक ही कहा है कि यदि इम्पीरियल बैंक न होता तो उस प्रकार के एक बैंक का निर्माण करना आवश्यक होता।

इस विशेष स्थिति के अतिरिक्त इस तथ्य से इम्पीरियल बैंक को बहुत बल प्राप्त हुआ है कि विभि सरकारों द्वारा बनाये गये नियमों के अनुसार अथवा सरकार के प्रशासनिक आदर्शो के अधीन अथवा रक्षित बैंक की सम्मति पर सरकारी और अर्ध-सरकारी निधियां साधारणतया इम्पीरियल बैंक में रखी जाती हैं। वास्तव में बैंकिंग समवाय अधिनियम की धारा २४ के अधीन, इम्पीरियल बैंक में बैंकिंग समवायों की जमा रोकड़ को बाकी को नगद पुंजी समझा जाता है, विशेषकर उन स्थानों में जहां रक्षित बैंक की शाखायें स्थापित नहीं हुई हैं, इम्पीरियल बैंक कुछ विषयों में बैंकरों के बैंक के तौर पर काम करता है। अतः यह बिलकुल स्पष्ट है कि देश के बैंकिंग ढांचे में इम्पीरियल बैंक की स्थिति बहुत महत्वपूर्ण है।

सरकार की ओर से इम्पीरियल बैंक को प्राप्त अधिकारों और आश्रय के

बारे में और राष्ट्र तथा जनता के प्रति उसकी सेवाओं के बारे में इस सभा में कई आरोप लगाये गये हैं। एक तो सेवाओं के राष्ट्रीयकरण के बारे में है मेरे विचार से कुछ को छोड़ कर, इम्पीरियल बैंक के समस्त कर्मचारीवर्ग का राष्ट्रीयकर्ण किया जा चुका है। इस के पश्चात् अंशों सम्बन्धी स्थिति है। मेरे विचार से अधिकतर अंश भारतीयों के पास हैं जो भी हो, मैं यहां, इम्पीरियल बैंक की कृति या अकृति की गलतियों का विवेचन नहीं करना चाहता। अधिकतर आरोप कदाचित न्ययोचित नहीं हैं। यदि वे न्यायोचित हों भी तो उनसे इम्पीरियल बैंक का राष्ट्रीयकर्ण करने के लिये एक और कारण मिलेगा।

ग्रामीण ऋण के सम्बन्ध में मेरे विचार से भारत जैसे देश में कृषि और कृषि संबन्धी ऋण के महत्व पर जोर देने का अवसर बीत चुका है। भारत की ७० प्रतिशत जनता कृषि पर निर्भर रहती है अथवा गाँवों में रहती है। कहा जा सकता है कि कृषि ही सारे धन का आधार है। कोई भी देश, विशेषकर भारत जैसा देश, कृषि की उपेक्षा नहीं कर सकता। किसानों ने ही सभ्यता का निर्माण किया है किन्तु उन्हें सभ्यता के प्राप्त हुए लाभों में से उन का उचित अंश नहीं मिला है।

मेरे विचार से एक समय भूमि समाज की होती थी किन्तु कुछ समय बाद वह निजी नियंत्रण और कब्जे के अधीन हो गयी। वहीं से मानवीय श्रम का शोषण प्रारम्भ हुआ और क्रमशः भूमि के छिटपुट टुकड़ों में बंट जाने से किसानों के कष्ट और भी बढ़ गये। ब्रिटिश शासन काल के प्रारम्भ से, ब्रिटिश उद्योगों और कुटीर तथा लघु उद्योगों को एक निश्चित नीति के अनुसार नष्ट किया गया। वह ब्रिटेन में औद्योगिक क्रांति का काल था और उनके लिये यह आवश्यक था कि भारत में ग्रामीण उद्योग नष्ट किये जायें। अतः स्वभाविक ही था कि भूमि पर अधिक दबाव पड़ा। ब्रिटिश विधियों ने महाजनों को किसानों के शोषण के लिये और अधिक सुविधायें दीं और इस प्रकार सहकारिता द्वारा शासित भारतीय ग्रामीण जीवन को कलुषित कर दिया। "१९वीं शताब्दी के अन्त में कृषि जमीनों का किसानों के हाथ से निकल कर महाजनों के हाथ में जाना एक बहुत साधारण बात हो गयी थी। किसानों के लिये धन प्राप्त करने का कोई वैकल्पिक साधन न होने के कारण ब्याज बहुत ऊंचे दर से ली जाती थी।" सहकारिता आंदोलन की स्वर्ण जयंती के अवसर पर जारी किये गये एक प्रकाशन का यह उद्धरण है। इस ग्रामीण ऋण के कारण जमीनें वास्तविक किसानों के हाथ से निकल कर बड़े बड़े दलालों, महाजनों, और साहूकारों के हाथ में चली गयीं यह कहा जाता है कि भारतीय रैयत इस लिये मेहनत करती है कि दूसरे लोग आराम करें और रैयत इस लिये खेत बोती है कि दूसरे लोग फसल काटें। ब्रिटिश शासन के अन्त तक भारतीय रैयत की यही स्थिति थी।

भारत में कृषि-ऋण अथवा ऋण संबंधी आवश्यकताओं के परिमाण का ठीक ठीक अनुमान कभी नहीं लगाया गया है। भिन्न भिन्न समयों में भिन्न भिन्न अनुमान लगाये गये हैं किन्तु ग्रामीण ऋण सर्वेक्षण ने कुछ अनुमान लगाया है और जिस पर हम विश्वास कर सकते

[श्री ए० सी० गुह]

हैं । मेरे विचार से उसने ऋण की वार्षिक आवश्यकता ७५० करोड़ रुपये बतायी है ।

युद्ध के दौरान में, कुछ किसानों ने अपने ऋण चुका दिये थे किन्तु ग्रामीण ऋण सर्वेक्षण के अनुमान के अनुसार अब भी ७५० करोड़ रुपये का ग्रामीण ऋण है । इन ऋणों के कारण ही किसानों की जमीनें दलालों और बड़े बड़े काश्तकारों के हाथों में चली गयीं । इन ऋणों के कारण ही कुछ किसान वास्तव में बिलकुल गुलामों जैसे हो गये । एंजिल्स ने ऐसे कृषकों को ऋण-दास कहा है ।

अभी पिछले वर्ष ही केन्द्रीय सरकार ने भारत में कृषि श्रम का सर्वेक्षण किया था । उस सर्वेक्षण में कृषि श्रम की परिभाषा दी गयी है और उसमें कुछ सीमान्त किसानों को, जिन के पास बहुत थोड़ी जमीन है और जिन के लिये मजदूरी ही मुख्य पेशा और जिन में से ५० प्रतिशत भूमिहीन है, शामिल किया गया है । भारत में ऐसे कृषि श्रमिकों के परिवारों की संख्या कुल ५.८ करोड़ ग्रामीण जनता में १.७६ करोड़ है जो सारी ग्रामीण जनता का लगभग ३० प्रतिशत है ।

कृषि श्रमिकों को आय के संबंध में पश्चिमी बंगाल में वह १६० रुपये प्रतिवर्ष है जब के औद्योगिक मजदूर की आय २६८ रुपये प्रतिवर्ष है जिसका अर्थ यह है कि कृषि श्रमिक औद्योगिक मजदूर की आय का केवल ५९ प्रतिशत प्राप्त करता है । बिहार में कृषि श्रमिक ११९ रुपये और औद्योगिक मजदूर ३३२ रुपये प्रति वर्ष पाते हैं और इस प्रकार कृषि श्रमिक औद्योगिक मजदूर की आय का केवल ३६ प्रतिशत प्राप्त करता है । मध्य-प्रदेश में कृषि श्रमिक ८७ रुपये और औद्योगिक मजदूर २६२ रुपये पाता है और इस प्रकार प्रतिशतता ३३ प्रतिशत है । उड़ीसा में कृषि श्रमिक ७ रुपये और औद्योगिक मजदूर १४५ रुपये पाता है और अनुपात ५४ प्रतिशत है । पंजाब में किसान मजदूर १२१ रुपये और औद्योगिक मजदूर २१६ रुपये पाता है और अनुपात ५६ प्रतिशत है । बंबई में कृषि श्रमिक ८८ रुपये और औद्योगिक मजदूर ३६८ रुपये पाता है और अनुपात २४ प्रतिशत है । इस प्रकार हम समझ सकते हैं कि हमारे किसानों पर किस प्रकार अत्याचार किया गया है ।

श्री टी० एस० ए० चेट्टियार (तिरुपूर) : मद्रास के लिये क्या आंकड़े हैं ?

श्री ए० सी० गुह : मद्रास के आंकड़े मेरे पास नहीं हैं । व प्रतिवेदन में नहीं दिये गये हैं अतः हम समझ सकते हैं कि इस कृषि ऋण ने हमारी कृषि और किसानों का किस प्रकार नाश किया है ।

इसने हमारे खाद्य उत्पादन को प्रभावित किया है । आप स्वयं उन दो कृषकों की अवस्था को समझ सकते हैं जिन में से एक अपने खेत में काम करता है और उसके श्रम का समस्त परिणाम उसी को मिलता है दूसरा केवल दूसरे के खेत में मजदूरी करता है । इस अन्तर पर और अधिक कहने की आवश्यकता नहीं है ।

पंडित ठाकुर दास भार्गव (गुड़गांव) : क्या पंजाब के कृषक को १० रुपया प्रति

मास मिल रहा है ? आपने बताया कि वह १२१ रुपये प्रति वर्ष का ।

श्री ए० सी० गुह : यह भारत सरकार द्वारा १९५० में किये गये सर्वेक्षण के अनुसार है ।

श्री बंसल (झज्जर रेवाड़ी) : माननीय मंत्री की सूचना का स्रोत क्या है ?

श्री ए० सी० गुह : भारत सरकार का १९५४ का कृषि श्रमिक सर्वेक्षण जिस पर श्री गिरि के हस्ताक्षर हैं ।

कृषि व्यवसाय एक प्रकार से बहुत से व्यक्तियों के लिये एक प्रकार की विवशता है । अन्य व्यवसायों के सम्बन्ध में कुछ न कुछ चुनाव करने की गुंजाइश रहती है । वह कार्यकर्त्ताओं की संख्या का निर्णय कर सकते हैं । परन्तु कृषि में ऐसा करना संभव नहीं है । "देहातों में जन्मे लाखों व्यक्तियों के लिये कृषि व्यवसाय अपनाने के अतिरिक्त और कोई चारा नहीं है, अन्य उद्योगों में केवल उतने ही व्यक्ति खपाये जाते हैं जिन को उन में स्थान मिल सकता है"।

परन्तु कृषि में ऐसा नहीं हो सकता है । सभी स्थानों पर जन संख्या के बढ़ने के कारण हमारी कृषि पर और अधिक दबाव पड़ रहा है । उद्योग आवश्यकता पड़ने पर जितने व्यक्तियों की उसे आवश्यकता होती हो ले सकता है, उसके ऊपर संख्या सम्बन्धी कोई उत्तरदायित्व नहीं है, परन्तु जिन व्यक्तियों का जन्म देहाती अथवा कृषि क्षेत्रों में हुआ है उन में से प्रत्येक कृषि व्यवसाय को चालू रखने के लिये वागबद्ध है ।

अतः इन परिस्थितियों में मैंने इस विधेयक को प्रस्तुत किया है । माननीय सदस्य जानते हैं कि अधिकांश राज्यों ने भूमि सुधार किये हैं परन्तु इन सुधारों से किस उद्देश्य की प्राप्ति होगी ? जब तक कि हम कृषि ऋण की व्यवस्था न करें वह सब बेकार रहेंगे बिना समुचित ऋण व्यवस्था के कृषकों को बाध्य होकर स्वयं को तथा अपनी भूमियों को बन्धक रखना पड़ेगा ।

हम यह कर सकते हैं कि विधानों के द्वारा भूमियों का बंधक-करण या हस्तान्तरण रोक दें और उसके बाद सब भूमियों को हस्तान्तरित कर दें परन्तु कृषकों तथा उनके परिवारों के द्वारा जो बंधक-करण किया जाता है उसे इस प्रकार नहीं रोका जा सकेगा और न महाजनों तथा बड़े कृषकों के हाथ में जो फसलों का बंधककरण किया जाता है उसे ही रोका जा सकेगा । इसलिये कृषि-संबंधी सुधारों का प्रभावपूर्ण रीति से परिपालन करने के लिये कृषिकरण की सुविधाओं का प्रबंध करना नितान्त आवश्यक है । कृषकों की आवश्यकताओं के प्रति आज कोई भी सरकार लापरवाही नहीं कर सकती है क्योंकि सामाजिक शक्तियों का स्त्रोत कृषक ही है । इस युग की दो महान क्रान्तियां, रूस तथा चीन की क्रान्तियां कृषक क्रान्तियां ही थीं । इस लिये यह सरकार इस क्रान्ति में पहल करना चाहती है और यह भी चाहती है कि जो क्रान्ति होने वाली है उस में कृषकों को उनका उचित अंश दिलाया जा सके और इस क्रान्ति का उचित पथप्रदर्शन किया जा सके । इम्पीरियल बैंक को अपने अधिकार में लेने तथा रिज़र्व बैंक आफ़ इण्डिया अधिनियम का संशोधन करने के बाद सरकार ग्राम ऋण बांटने की एक संस्था स्थापित करेगी । आज यदि कृषकों के लिये ग्राम ऋण की सुविधायें नहीं हैं

[श्री ए० सी० गुह]

तो इसका कारण न तो धन का अभाव है और न यह कारण ही कि है सरकार में इस काम के करने की इच्छा नहीं है। इसका बस एक ही कारण है वह है संगठन का अभाव। आज हम उसी अभाव की पूर्ति करने का प्रयत्न कर रहे हैं।

इन दो विधेयकों के पारित हो जाने के बाद सरकार सहकारी आन्दोलन के समुचित संगठन की ओर ध्यान देगी। राज्य सरकारें शिखर बैंकों की अंशपूंजी में अंशदान देंगी, शिखर बैंक केंद्रीय बैंक की अंशपूंजी में अंशदान देंगे. उसी प्रकार केंद्रीय बैंक सहकारी बैंक की अंशपूंजी में अंशदान देगा। सारे देश में गोदाम स्थापित किये जायेंगे। एक केंद्रीय गोदाम व्यवस्था निगम होगा जिस की शाखायें सभी राज्यों में होंगी। हम सहकारी विपणन प्रणाली का भी संगठन करेंगे। बहुधा होता यह है कि कृषकों को अपनी फ़सल अनिवार्य रूप से निर्धारित दरों पर जो बहुत ही कम होती हैं बेच देनी पड़ती है क्यों कि उनके पास अपनी फ़सल को रखने का कोई उचित प्रबंध नहीं है। ऐसे अवसरों पर दलाल लोग बाज़ार भाव में ऐसा उलट फेर करते हैं कि भाव बहुत गिर जाते हैं और फ़सल कृषकों के हाथ से बहुत कम दामों में निकल जाती है। उसके बाद फिर दाम बढ़ जात हैं। गोदामों तथा सहकारी विपणन के इस प्रबंध से इसे रोका जा सकेगा। कृषक अपनी फ़सल गोदामों में रख देंगे। फ़सल की प्रतिभूति पर उनको कुछ उधार मिल जायेगा जिससे कि कुछ महीने वे अपना काम चला सकें और जब उचित मूल्य मिलें तो अपनी फ़सल को बेचें। गोदाम व्यवस्था संगठन तथा विपणन बोर्ड का यही काम होगा।

अनेक बार इस सभा में कहा गया है कि कृषि उत्पादों के मूल्यों को सहारा दिया जाये। यह इतना बड़ा कार्य है कि हो सकता है कि सरकार के पास इतना धन न हो कि वह इस काम को पूरा कर सके। परन्तु गोदाम व्यवस्था तथा विपणन की जो व्यवस्था की जा रही है उससे कृषि उत्पादों के मूल्यों को वास्तव में सहारा मिलेगा।

अभी हाल में सहकारी आन्दोलन से सम्बन्धित राज्यों के प्रतिनिधियों का एक सम्मेलन हुआ था। उन्होंने ग्राम ऋण सर्वेक्षण की सिफ़ारिशों को स्वीकार किया है और उसके कार्यक्रम को पूरा करने की इच्छा प्रकट की है। विचार यह किया गया है कि केंद्र में खाद्य तथा कृषि मंत्रालय के आधीन राष्ट्रीय सहकारी विकास बोर्ड के नाम से एक योजना बनाने तथा वित्तीय सहायता देने वाला नकाय बनाया जाये जो देश भर के लिये गोदाम व्यवस्था करने की एक योजना तय्यार करे। इस कार्य के लिये केंद्र में केंद्रीय गोदाम व्यवस्था बोर्ड बनाया जाये राज्यों में राज्य गोदाम व्यवस्था बोर्ड बनाये जायें और उनके नीचे सहकारी समितियां हों। प्रत्येक राज्य में एक विपणन प्रणाली संगठित की जाये जिसका सम्बन्ध एक शिखर राज्य विपणन समिति से हो। राज्यों के इन तमाम सहकारी प्रयत्नों का वित्तपोषन राष्ट्रीय सहकारी विकास बोर्ड द्वारा किया जायेगा। प्रसाशन की दृष्टि से ये सारे कार्यकलाप राज्य सरकारों के क्षेत्राधिकार में होंगे।

सहकारी समितियां अभी तक कृषकों की ऋण संबंधी आवश्यकताओं के ३.१ प्रतिशत से अधिक नहीं पूरा कर पाई हैं।

सरकार ३.३ प्रतिशत देती है, व्यवसायिक बैंक १ प्रतिशत से भी कम देते हैं। फिर भी ग्राम ऋण का ९० प्रतिशत से अधिक भाग बनियों तथा महाजनों के हाथ में है। इस लिये सहकारी समितियों के विकास की बहुत अधिक आवश्यकता है।

यह कहा जा सकता है कि सहकारी समितियों का पिछला काम ऐसा नहीं रहा है जिस से कि हमें अधिक आशा हो सके। परन्तु यह आन्दोलन विदेशों में सफल हो चुका है और यदि हमारे देश में सफल नहीं हुआ तो उसका कारण हमारी अपनी कमज़ोरियाँ हैं। दूसरे, अंग्रेजी सरकार चाहती ही कब थी कि सहकारी आन्दोलन का विकास हो। केवल नाम करने के लिये ही उसने इस आन्दोलन को आरंभ किया था। स्वतंत्रता प्राप्त होने के बाद स सरकार ने इस अन्दोलन की ओर ध्यान तो बराबर दिया है परन्तु इस आन्दोलन में विशेषतः पंजाब और बंगाल के आन्दोलनों में, विभाजन, विभाजनोत्तर तथा युद्धोत्तर कठिनाइयों के कारण, बराबर बाधायें पड़ती रहीं और इसकी उन्नति को रोकती रहीं। यदि वास्तव में थोड़ी बहुत उन्नति हुई भी है तो मद्रास और बम्बई में हुई है। ग्राम ऋण सर्वेक्षण के प्रतिवेदन से, स्वयं अपने अनुभव से तथा समस्या के अध्ययन से...............

श्री मात्तन (तिरुवल्ला) : ग्राम ऋण सर्वेक्षण का प्रतिवेदन नहीं वरन् उसका एक संक्षेपमात्र सदस्यों में परिचालित किया गया है।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रत्येक प्रतिवेदन सदस्यों में परिचालित नहीं किया जा सकता है। सारे प्रतिवेदन सभा के पुस्तकालय में रख दिये जाते है। उसका संक्षेप वितरित कर दिया गया हैं। जो सदस्य चाहें वे पुस्तकालय में उसे देख सकते हैं

श्री ए० सी० गुह : अभी तक वाणिज्यिक बैंक भारत की ग्राम ऋण समस्या को हल करने के लिये बहुत कम काम कर पाये हैं। ग्रामीण तथा अर्धनगरीय क्षेत्रों में बैंकिंग कार्यकलापों का प्रसार तक नहीं हुआ है। वास्तव में इस कार्य को वाणिज्यिक बैंक कर भी नहीं सकते हैं क्योंकि वे मुख्यतः लाभ के उद्देश्य से ही कार्य करते हैं। यह कार्य तो सहकारी बैंकों तथा भारत के राज्य बैंक को करना है जो ग्रामीण क्षेत्रों में अपनी ४०० शाखें खोलेगा और सहकारी बैंकों तथा गोदाम व्यवस्था समितियों के सहयोग से कार्य करेगा। यह बैंक केवल ग्राम ऋण की समस्या को ही नहीं सुलझायेंगे वरन् कुटीर उद्योगों, छोटे उद्योगों तथा ग्रामोद्योग की आवश्यकताओं को भी पूरा करेंगे। बेकारी को दूर करने के लिये भी कुटीर उद्योगों की ही शरण लेनी पड़ेगी क्योंकि बड़े बड़े उद्योगों के द्वारा एक करोड़ बारह लाख नौकरियां उत्पन्न करना कठिन है। राज्य बैंक की यह ४०० ग्राम शाखायें ग्रामोद्योगों की सहायता करेंगी। इसके अतिरिक्त ग्रामीण क्षेत्रों म भी लोग कुछ न कुछ पैसा बचाते हैं परन्तु उनके पास कोई ऐसा सुरक्षित स्थान नहीं है जहां वे अपना पैसा जमा कर सकें। यह ४०० शाखायें इस कार्य में भी सहायता पहुंचायेंगी।

वर्तमान विधेयक में तो केवल इतना ही है कि इम्पीरियल बैंक को बदल कर भारत का राज्य बैंक कर दिया जाये। परन्तु ग्रामऋण सार्वेक्षण प्रतिवेदन ने यह भी सिफारिश की है कि राज्य-पोषित बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया जाये। इस प्रकार के बैंक दस हैं। विभिन्न राज्य सरकारों के साथ हम इस संबंध में वार्ता कर रहे हैं और हमें आशा है कि शीघ्र ही हम इन

[श्री ए० सी० गुह]

बैंकों को भी अपने अधिकार म ले लेंगे। इस विधेयक के खण्ड ३५ म एक ऐसा उपबन्ध रखा गया है जिससे एच्छिक विलय संभव होगा। इस सम्बन्ध में बैंकिंग समवाय अधिनियम में जो उपबंध है वह बहुत ही जटिल है। इसी लिये हमने इस विधेयक में ऐसा उपबंध बनाया है और हम आशा करते हैं कि इन राज्य-पोषित बैंकों में से अधिकांश स्वयं अपनी इच्छा से राज्य बैंक में विलय हो जाने के लिये सहमत हो जायेंगे।

यदि वे ऐसा नहीं करते, तो हम राज्य द्वारा चलाये गये बैंकों के लिए एक और विधेयक प्रस्तुत करना पड़ेगा। इस के अतिरिक्त सदन को विदित है कि बहुत से छोटे छोटे बैंक ऐसे हैं जिनके लिये उचित रूप से कार्य करना कठिन है। केवल एक तरीका हो सकता है और वह यह है कि इन सब को बन्द कर दिया जाये। इसका अर्थ परिसमापन है या इन्हें अन्य बैंकों के साथ मिलाना या इन्हें किन्हीं और व्यापारिक कम्पनियों में परिवर्तित करना है। तीसरा तरीका ठीक नहीं है क्योंकि ऐसा करने से भ्रष्ट प्रबन्ध अधिकारी इनका रुपया लेकर भाग जायेंगे। अतः इसकी अनुमति देने के मामले में हम बहुत सावधान हैं। अब परिसमापन और विलय रह जाता है। सिवाय राज्य बैंक के, जिसके लिए राज्य उत्तरदायी होगा और कोई वाणिज्यिक बैंक इन्हें संभालने के लिए तैयार नहीं होगा। परिसमापन का परिणाम यह होगा कि बहुत से रुपया जमा कराने वालों को हानि पहुंचेगी। अतः हम परिसमापन के पक्ष में भी नहीं हैं। हम आशा करते हैं कि इस विधेयक के खंड ३५ के अन्तर्गत राज्य बैंक उचित जाँच के बाद इन अनानुसूचित बैंकों को जिनकी संख्या ४०० से अधिक है, अपने हाथ में ले सकेगा।

श्री मात्तन : अनुसूचित बैंकों के बारे में क्या स्थिति होगी ?

श्री ए० सी० गुह : यदि वे चाहें तो इस खंड के अन्तर्गत आ सकते हैं।

राज्य बैंक के संगठन की सामान्य, योजना यह होगी कि निश्चित तिथि को, अर्थात जब से यह विधेयक लागू होगा, राज्य बैंक के सब अंश भारत के रक्षित बैंक को हस्तांतरित कर दिये जायेंगे रक्षित बैंक कम से कम ५५ प्रतिशत अंश अपने पास रखेगा और ४५ प्रतिशत तक अंश निजी व्यक्तियों को दे सकेगा।

प्रबन्ध निदेशक, उपप्रबन्ध निदेशक और अन्य निदेशकों को छोड़कर इम्पीरियल बैंक के सब पदाधिकारी और कर्मचारी उस तिथि से राज्य बैंक में पहली शर्तों के अधीन और उसी अवधि के पदों पर काम करेंगे। तथापि एक उपबन्ध यह भी है कि सरकार बाद में इन की सेवा की शर्तों और पारिश्रमिक में परिवर्तन कर सकती है। जहां तक प्रबन्ध निदेशक और उपप्रबन्ध निदेशक का सम्बन्ध है मेरे विचार म सभा को मालूम है कि इन के वेतन अत्यधिक हैं और सभा इस विधेयक की पुष्टि नहीं करनी चाहेगी। अतः हम ने निदेशकों को इस विधेयक के स्थायीकरण उपबन्ध से बाहर रखा है।

अब मैं प्रतिकर सम्बन्धी खंड को लेता हूं। इस विषय में हमने वही सूत्र अपनाया है जो कि रक्षित बैंक के मामले में अपनाया गया था अर्थात् राष्ट्रीयकरण की घोषणा की तिथि—२० दिसम्बर

१९५४ से गत १२ मासों का औसत मूल्य...

श्री गाडगील (पूना मध्य) : यह प्रत्यक्ष मूल्य का कितने गुना है। २० गुना ?

श्री ए० सी० गुह: नहीं, नहीं। तीन गुना से कुछ अधिक। ५०० रुपये के अंश के लिये १७६५ रुपये १० आने का प्रतिकर दिया जायेगा। किन्तु सदन को याद रखना चाहिए कि वर्तमान अंशधारी पहले अंशधारी नहीं हैं जिन्होने ५०० रुपये के मूल्य पर अंश खरीदे थे। अधिकांश ने बाद में खरीदे हैं और उन्होंने अवश्य अधिक मूल्य पर खरीदे होंगे।

श्री गाडगील: किन्तु जमींदारी लेने के समय तो इस बात को ध्यान में नहीं रखा गया था।

श्री ए० सी० गुह: जमींदारी बहुत कम मूल्य पर ली गई थी। अधिकतर यह लूट की सम्पत्ती थी जो कि ईस्ट इंडिया कम्पनी ने मुस्लिम नवाबों को दी थी।

श्री मात्तन: घोषणा की तिथि को बाज़ार भाव क्या था ?

श्री ए० सी० गुह: मुझे मालूम नहीं। कुछ भी हो, हमने इस सूत्र का अनुसरण किया है। मैं यह भी कहना चाहूंगा कि संविधान संशोधन विधेयक के पारित होने के बाद, हमने उन शक्तियों का, जो कि इस विधेक के द्वारा प्रदान की गई हैं स्वच्छंदता से प्रयोग नहीं किया। कुछ लोग कहेंगे कि यह प्रतिकर अत्याधिक है और अन्य लोग कहेंगे कि यह बहुत कम है। इस लिए हमने वही सूत्र अपनाया है, जो कि रक्षित बैंक के मामले में अपनाया गया था।

प्रतिकर देने का स्तर इस प्रकार होगा। १०,००० रुपये तक, अंशधारी नकदी में ले सकेगा और १०,००० रुपये से अधिक राशि की अवस्था में, प्रतिकर बन्धपत्रों के रूप में दिया जायेगा। जैसा कि मैं ने कहा है, रक्षित बैंक ४५ प्रतिशत अंश निजी व्यक्तियों को दे सकेगा और इस मामले में वर्तमान अंशधारियों को अधिमान दिया जायेगा।

श्री कासलीवाल (कोटा-झालावाड़) : अंश किस मूलय पर दिये जायेंगे ?

श्री ए० सी० गुह : वर्तमान अंश धारियों को निर्धारित प्रतिकर के मूल्य तक। यह पिछले कुछ मासों की औसत है। कुछ लोग यह पूछेंगे कि सरकार या रक्षित बैंक ५५ प्रतिशत के बदले १०० प्रतिशत अंश अपने पास क्यों न रखे।

श्री बंसल : ग्रामीण सर्वेक्षण समिति ने क्या सिफ़ारिश की थी ?

श्री ए० सी० गुह : हमने इस समिति की सिफ़ारिशों का अनुसरण किया है, सिफ़ारिश यह थी कि नियन्त्रण प्रभावोत्पादक होना चाहिए।

राज्य बैंक वर्तमान इम्पीरियल बैंक की तरह वाणिज्यिक बैंक के रूप में भी कार्य करेगा। उदाहरणतया यह देश का सब से बड़ा वाणिज्यिक बैंक होगा। ९१२ करोड़ रूपये के कुल निक्षेप में से जिस में विनिमय बैंकों और अनुसूचित बैंकों के निक्षेप भी सम्मिलित हैं, २०७ करोड़ रुपये के निक्षेप इम्पीरियल बैंक के हैं। निक्षेपों का $^1/_5$ भाग इम्पीरियल बैंक के पास है और हम कोई ऐसा पग नहीं उठायेंगे जिस से राज्य बैंक की क्षमता को हानि पहुंचे। हम चाहते हैं कि व्यापारी और निजी व्यक्ति भी इस बैंक के साथ सम्बद्ध हों, किन्तु,

[श्री ए० सी० गुह]

सरकार ने इस बात की व्यवस्था की है कि इस पर सरकार का पूर्ण नियंत्रण रहे। इसके २० निदेशक होंगे, अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष सरकार द्वारा नियुक्त किये जायेंगे, दो प्रबन्ध निदेशक सरकार के परामर्श से केन्द्रीय बोर्ड द्वारा नियुक्त किये जायेंगे, आठ निदेशक जो कि गैर-सरकारी होंगे सरकार द्वारा मनोनीत किये जायेंगे, निदेशक बोर्ड में एक पदाधिकारी सरकार का प्रतिनिधित्व करेगा और एक रक्षित बैंक का मनोनीत व्यक्ति होगा। इस प्रकार सरकार चौदह व्यक्तियों को मनोनीत या नियुक्त करेगी। निजी अंशधारी केवल ६ निदेशक चुन सकेंगे। इस बारे में कोई संदेह नहीं होना चाहिए कि बैंक पर भारत का पूरा नियन्त्रण होगा।

श्री बंसल : क्या अंशधारी प्रादेशिक आधार पर मनोनीत करेंगे ?

श्री ए० सी० गुह : जी हां। कन्द्रीय बोर्ड के अतिरिक्त स्थानीय बोर्ड और स्थानीय प्रधान कार्यालय भी होंगे। हमने लगभग रक्षित बैंक विधेयक के उपबन्धों का अनुसरण किया है। इस समय मद्रास, बम्बई और कलकत्ता में प्रधान कार्यालय हैं। सरकार बाद में किसी अन्य स्थान पर स्थानीय प्रधान कार्यालय और स्थानीय बोर्ड स्थापित करने की अधिसूचना दे सकती है। एक कार्यपालिका समिति भी होगी और इस के कृत्य और कर्तव्य केन्द्रीय बोर्ड द्वारा निश्चित किये जायेंगे।

बैंक के निदेशकों की जो सामान्य अनर्हताएं होती हैं और उन्हें उस व्यापार में भाग लेने से रोकने के लिए, जिस में उनका निजी स्वार्थ हो, जो सामान्य संरक्षण होते हैं, उन्हें भी सम्मिलित किया गया है और केन्द्रीय बोर्ड द्वारा अपने कृत्य पूरा करने के लिए कार्यपालिका समिति या कोई अन्य समिति बनाने का उपबन्ध भी किया गया है।

मैं यह बताना चाहूंगा कि रक्षित बैंक की तरह, संसद और विधान मंडलों के सदस्य इस बैंक के निदेशक नहीं बन सकेंगे, गत २० दिसम्बर को जब वित्त मंत्री ने इस बैंक के राष्ट्रीयकरण की घोषणा की थी, तो उन्होंने एक विशिष्ट आश्वासन दिया था कि बैंक और उस के ग्राहकों के बीच जो गोपनीय सम्बन्ध होता है, उसे सुरक्षित रखा जायेगा। इस प्रयोजन के लिए एक विशिष्ट उपबन्ध किया गया है।

राज्य बैंक न केवल देश का सब से बड़ा वाणिज्यिक बैंक होगा, बल्कि यह पहले की तरह अनुसूचित बैंकों को सहायता भी देता रहेगा। यह शंका प्रकट की गई है कि क्या इम्पीरियल बैंक राष्ट्रीयकरण से जिस में कुल बैंक निक्षेपों का $^1/_5$ भाग है, गैर सरकारी क्षेत्र पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा।

यद्यपि भारत का राज्य बैंक सरकार के नियंत्रण के अधीन काम करेगा, यह गैर सरकारी क्षेत्र में व्यापारी लोगों को ऋण की सुविधायें देता रहगा। राष्ट्रीयकरण या सरकारी नियंत्रण का अर्थ यह नहीं है कि यह केवल राष्ट्रीकृत उपक्रमों को ऋण देगा और गैर सरकारी उपक्रमों को नहीं दगा। वित्त मंत्री पहल यह आश्वासन दे चुके हैं कि व्यापारियों को वर्तमान सुविधायें पहले की तरह दी जाती रहेंगी। मैं यह आश्वासन देना चाहूंगा कि सरकार का गैर सरकारी वाणिज्यिक बैंकों पर हाथ डालने का कोई

इरादा नहीं। उन्हें पहले की तरह काम करने दिया जायगा और गैर-सरकारी बैंकों से सम्बन्ध रखने वालों को यह नहीं समझना चाहिये कि यह बैंकों के राष्ट्रीय-करण की ओर पहला पग है ।

इम्पीरियल बैंक के सभापति ने निदेशकों के बोर्ड की बैठक में अन्तिम भाषण के रूप में अथवा एक बड़ी संस्था के अन्त्येष्टि संस्कार पर भाषण के रूप में कुछ कहा था । मैं समझता हूं कि इसकी व्याख्या उस रूप में नहीं करनी चाहिये । इम्पीरियल बैंक एक बड़ी संस्था है और उसने देश का बड़ा हित किया है परन्तु मैं समझता हूं कि इस समय उसका जो स्वरूप है उसका कोई लाभ नहीं है । इसका रूप अवश्य बदला जाना चाहिये । जैसे कि १९२० में पहले तीन प्रेजीडेंसी बैंक थे और उन्हें इम्पीरियल बैंक आफ इंडिया में बदल दिया गया था उसी प्रकार अब इम्पीरियल बैंक के पुनः रूपान्तर करने की आवश्यकता है उस बैठक में सभापति ने जो विचित्र बातें कहीं उनकी वजाय उन्हें उस पौराणिक पक्षी को याद रखना चाहिये था जो हर १०० वर्ष के बाद अपने आपको जला देता था और अपनी भस्म में से फिर जन्म लेता था। मेरा विचार है कि इम्पीरियल बैंक एक नये रूप में फिर से जन्म लेगा और देश के हित के लिए कार्य करेगा ।

अपना भाषण समाप्त करने से पूर्व मैं पुनः सभा को याद दिलाता हूं कि विधेयक का उद्देश्य भारत के इम्पीरियल बैंक का राष्ट्रीय रण ही नहीं बल्कि हमारे ग्रामीण जीवन का पुनर्निर्माण करना, हमारे कृषकों को सबल बनाना और ग्रामीण क्षेत्रों को मजबत बनाना है ।

हमारे ग्रामों की अवस्था बड़ी खराब है । इस विधेयक द्वारा हम जो मशीनरी तैयार कर रहे हैं वह ग्रामीण जीवन में नवीन उत्साह लायेगी और हमारे ग्रामों की हालत बहुत अच्छी हो जायेगी ।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ : "कि भारत के लिए एक राज्य बैंक स्थापित करने, उसे भारत के इम्पीरियल बैंक के उपक्रम हस्तांतरित करने तथा उससे सबंधित अथवा आनुषंगिक मामलों की व्यवस्था करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये ।"

श्री बी० दास (जाजपुर क्योंझर) : १९३४ में भारत का रक्षित बैंक अधिनियम पारित किया गया फिर भी ग्रामीण लोगों क लिए ऋण की कोई आशा नहीं थी । उस समय इम्पीरियल बैंक एक घोर शत्रु था और हमारे उपनिवेशवादी शासकों द्वारा इसका दुरुपयोग किया जा रहा था परन्तु अब ठीक कार्यवाही की गई है । सब प्रकार के ोगों के हित के लिए एक राज्य बैंक स्थापित किया जा रहा है।

१९३४ में हम में से कुछ व्यक्तियों ने बड़ा यत्न किया कि रक्षित बैंक को कृषि ऋण भी देना चाहिये । हम चाहते थे कि यह कृषि ऋण देकर सहकारी समितियों की सहायता करें परन्तु इसका वे कोई तरीका न निकाल सके ।

रक्षिक बैंक के गवर्नर द्वारा १९५१ में नियुक्त की गई ग्रामीण ऋण सर्वेक्षण समिति के प्रतिवेदन के परिणामस्वरूप ही भारत के लिए एक राज्य बैंक स्थापित किया जा रहा है । मैं चाहता था कि श्री ए० सी० गुह इसके भविष्य के बारे में कुछ तताते । उन्होंने इम्पीरियल बैंक अथवा भारत के बैंकिंग प्राधिकारियों पर लगाये गये आरोपों के बारे में ही कहा ।

[श्री बी० दास]

उन्होंने बताया कि सहकारी बैंकों द्वारा केवल ३ प्रतिशत रुपया दिया जाता है और सहकारी बैंक ठीक रूप स कार्य नहीं कर रहे हैं इसके लिए मैं भूतपूर्व सरकार और रक्षित बैंक को दोषी ठहराता हूं। परन्तु अब राज्य बैंक से कुछ सुधार की आशा है। दो विधेयक पुनःस्थापित किये गये हैं। एक राज्य बैंक विधेयक और दूसरा भारत का रक्षित बैंक (संसोधन) विधयक। सरकार और हम एक ही सच्चाई को अनुभव करने लग हैं और अब मैं सरकार पर यह आरोप नहीं लगाना चाहता कि इस मामले में विलम्ब किया जायेगा। अब हमारी एक ही इच्छा है कि ऐसा विधान बनाया जाये जिससे ग्रामीण क्षत्रों के लिए ऋण की व्यवस्था हो, ग्रामीण ऋण ग्रस्तता का उत्पादन हो और ग्रामीण क्षेत्र उन्नति करें।

इम्पीरियल बैंक के अंशधारियों को तनिक अधिक प्रतिकर दिया जा रहा है परन्तु इस पर मुझे कोई आपत्ति नहीं है। मैं सभा और श्री ए० सी० गुह को यह बताना चाहता हूं कि हमें भारत के राज्य बैंक विधेयक के खंड ४१ का संशोधन करना चाहिए ताकि लेखा परीक्षा में महा-लेखा परीक्षा की सहायता प्राप्त की जा सके। वर्ष १९४८ में भारत के रक्षित बैंक अधिनियम में संशोधन किया गया जिसके अनुसार केन्द्रीय सरकार किसी भी समय बैंक के लेखे का परीक्षण करने के लिये नियंत्रक महालेखा परीक्षक को नियुक्त कर सकती है। कर्मचारियों की कमी और अन्य कठिनाइयों के कारण इस पर अमल नहीं किया गया है। उद्योग वित्त निगम अधिनियम के अन्तर्गत भी निगम को लेखा परीक्षकों का प्रतिवेदन अंशधारियों के सामने रखने से पूर्व उसकी एक प्रति नियंत्रक महालेखा परीक्षक को भेजनी पड़ती है, १९५१ में पारित किये गये राज्य वित्तीय निगम अधिनियम के अन्तर्गत भी राज्य सरकार भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक के परामर्श से लेखा परीक्षकों को प्रतिवेदन भेजने का निदेश दे सकती है, संचित निधि में से जो रुपया निकलता है अथवा व्यय होता है उस पर महालेखा परीक्षक की देख रेख होनी चाहिए। महालेखा परीक्षक मुख्य लेखा परीक्षक होना चाहिए और वह गैर-सरकारी लेखा परीक्षकों की सहायता ले सकता है।

पर खंड ४१ में महालेखा परीक्षक का उल्लेख न देखकर मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ। इस विधेयक में इस बात का विशेष रूप से उल्लेख होना चाहिए कि संचित निधि में से राज्य बैंक के द्वारा व्यय होने वाले वित्त की लेखा परीक्षा करने का महालेखा परीक्षक को सर्वोत्तम अधिकार होगा। मैं आशा करता हूं कि महालेखा परीक्षक का सर्वोत्तम अधिकार प्राप्त करने के लिये खंड ४१ का संशोधन किया जायेगा जिस से लेखा परीक्षक नियुक्त करने का अधिकार नहीं छीना जायगा।

मैं सरकार से अनुरोध करता हूं कि वह मशीनरी को शीघ्र ही तैयार करे ताकि राज्य बैंक द्वारा खोले जाने वाले ४०० बैंक अच्छी भावना से काम करें और दिखा दें कि हमने आर्थिक स्वराज्य प्राप्त कर लिया है जिसके बिना हमें इतने कष्ट सहन करने पड़े हैं।

श्री एच० एन० मुकर्जी (कलकत्ता उत्तर-पूर्व) पिछले दिसम्बर में जब सरकार ने इम्पीरियल बैंक का राष्ट्रीयकरण करने और इसे भारत के राज्य बैंक में मिलाने

के बारे में घोषणा की तो जनता ने इसका बड़ा स्वागत किया। इसी लिये हम विधेयक में कई त्रुटियां होने पर भी इसकी प्रशंसा करते हैं।

मेरा यह कहना अनुचित न होगा कि अब तक इस बैंक पर ब्रिटिश और भारतीय एकाधिकारियों का ही नियन्त्रण रहा है और इसमें जमा रुपये से एकाधिकारी व्यक्ति और उनसे सम्बन्ध रखने वाले ही लाभ उठाते रहे हैं और उद्योग अथवा व्यापार में काम करने वाले छोटे लोगों को कभी इस से सहायता नहीं मिली। छोटे व्यक्ति अब भी ऋण की सुविधाओं से वंचित हैं, इसलिए इस विनिश्चयक से जनसाधारण को बड़ी प्रसन्नता हुई है। आशा है कि अब वह रुपया केवल एकाधिकारियों और सट्टेबाजों के उपयोग के लिए न होते हुए राष्ट्रीय उन्नति के लिए काम में लाया जा सकेगा।

जनता की प्रत्याशाओं को पूरा करने के लिये इस विधेयक में अभी बहुत से सुधार अपेक्षित हैं। मैं अनुभव करता हूं कि बैंकिंग के कार्य पर अधिकाधिक राज्य का नियन्त्रण होना चाहिए और गैर सरकारी क्षेत्र का अधिकार इतना ज्यादा नहीं होना चाहिये। ऐसा प्रतीत होता है कि सरकार इस बारे में कोई दृढ़ निश्चय नहीं कर सकी है।

२० करोड़ रुपये की प्राधिकृत पूंजी से राज्य बैंक स्थापित किया जायेगा जिसके ४५ प्रतिशत के अंश जनता खरीद सकेगी और इम्पीरियल बैंक के वर्तमान अंशधारियों को प्राथमिकता दी जायगी। इस प्रकार वे एकाधिकारी अपना पहला स्थान पा लेंगे। इन अंशधारियों में से छः निदेशक निर्वाचित किये जायंगे और आठ केंद्रीय सरकार रक्षित बैंक से परामर्श करके नामनिर्देशित करेगी। इनमें से भी कई धनवान व्यक्तियों के प्रतिनिधि घुस आयेंगे। देश की सरकार द्वारा राज्य निगमों में कई ऐसे निदेशकों को नामनिर्देशित किया गया है जिन्हें आयकर जांच आयोग अपराधी ठहरा चुका है।

कई कर चुकाने वालों को ऐसे महत्व के पदों पर नियुक्त किया जायगा। अतः मुझे डर है कि इम्पीरियल बैंक के एकाधिकारियों की सत्ता को जारी रखने के लिए इस विधेयक में काफी क्षेत्र है।

मैं देखता हूं कि भारतीय वाणिज्य तथा उद्योग मंडल के संघ और अंशधारियों को, जो इसका हर प्रकार से विरोध करते रहे हैं और इसके विरुद्ध संकल्प पास करते रहे हैं प्राधिकृत स्थानों पर नियुक्त किया जा रहा है।

पिछले वर्ष श्री सी० डी० देशमुख ने कहा था कि देश में बैंकिंग का विस्तार इसलिये नहीं होता कि बैंक ग्रामीण क्षेत्रों को ऋण की सुविधायें नहीं देते; क्योंकि बैंक लाभ चाहते हैं। वे इस बात में विश्वास रखते हैं कि लाभ ही सब कुछ है। यदि ऐसी बात है तो इतने लोगों को भारत के राज्य बैंक के केन्द्रीय बोर्ड में प्राधिकृत स्थानों पर नियुक्त करके उनपर क्यों विश्वास किया जा रहा है। यह लोग तो धन के पुजारी हैं और यह ऐसे समाज के पक्ष में नहीं जिसमें शहरी और ग्रामीण जीवन का समन्वय हो।

इम्पीरियल बैंक के अंशधारियों की बैठक हुई, सरकार को संकल्प भेजे गये कि भारत सरकार एक पृथक ग्रामीण ऋण निगम स्थापित कर ले। इस प्रकार के

[श्री एच० एन० मुकर्जी]

ग्रामीण ऋण से अपना पीछा छुड़ाना चाहते हैं और अपने कार्य को जारी रखना चाहते हैं ।

अपने गत अधिवेशन में अंशधारियों में से एक व्यक्ति ने एक ऐसे संकल्प के बारे में सुझाव दिया था कि एक पृथक ग्राम-ऋण निगम की स्थापना की जाए। इस प्रकार से हम देखते हैं कि सरकार उन्हीं लोगों पर निर्भर कर रही है, जो कि इस विधेयक के वास्तविक उद्देश्य के विरोधी हैं ।

प्रतिकर के सम्बंध में मैं कुछ अधिक नहीं कहना चाहता, क्योंकि मुझे ज्ञात है कि हम जो भी कहें, सरकार हमारी बात नहीं मानेगी । उसके हाथ में शक्ति है, वह जो चाहे कर सकती है । परन्तु मैं तो यही कहूंगा कि अंशधारियों को इतना अधिक प्रतिकर देना अनैतिक है । हमारे प्रधान मंत्री का भी यही विचार है । यदि हम व्यावहारिक दृष्टि कोण से इसके विषय में विचार करें, तो हमें यही मानना होगा कि अंशधारियों को इतना अधिक प्रतिकर देना उचित नहीं है । सरकार का ऐसा विचार है कि प्रत्येक अंशधारी को ५०० रुपये के प्रत्यक्ष मूल्य वाले पूर्ण अदा किए हुए प्रत्येक अंश के लिए १७६५ रु० १० आने दिए जाएंगें और १२५ रुपये के प्रत्यक्ष-मूल्य वाले अपूर्ण अदा किए हुए प्रत्येक अंश के लिए ४३१ रु० १२ आने ४ पाई दिए जाएंगे । परन्तु इस दर से तो कई करोड़ रुपये अदा करने पड़ेंगे जो कि बहुत बड़ी राशि है । इसका भयानक परिणाम यह होगा कि हम केवल पूंजी पतियों को प्रोसाहन देकर देश में अधिक वैषम्य को बढ़ाएंगे, जोकि समाजवादी ढंग के समाज के संकल्प के बिल्कुल विपरीत है।

इसके सम्बंध में एक यह तर्क उपस्थित किया गया है कि यह राशि १९५४ की औसत बाजार दर के अनुसार है । परन्तु आपको ज्ञात होना चाहिए कि स्कन्द और शेयर के लिए स्कन्ध मार्किट के भावों का धन-विनियोग पर कुछ भी प्रभाव नहीं पड़ता । अर्थात मूल अंश उतना ही रहेगा । अतः हम यही चाहते हैं कि जब राष्ट्र के हित के लिए सरकार किसी महान उद्योग का राष्ट्रीयकरण करना चाहती है, तो यह कदापि उचित नहीं है कि अंश-धारियों को उन द्वारा लगाया गया मूल-धन भी अदा किया जाए और सट्टा बाज़ी के आधार पर बढ़ी हुई राशि भी अदा की जाए अतः उन्हें मूल-धन के अतिरिक्त और अधिक धन नहीं दिया जाना चाहिए।

इम्पीरियल बैंक के अंश प्रायः ऐसे ही व्यक्तियों के हाथ में हैं जोकि स्थायी विनियोग चाहते हैं । कई अंश तो ऐसे हैं जोकि कई पीढियों से एक ही वंश ने संभाले हुए हैं । उन व्यक्तियों ने अंश खरीदते समय एक एक अंश के लिए ६०० रुपया दिया होगा । परन्तु आज जब उन्हें १७०० रुपये से भी अधिक अदा किया जा रहा है तो वह कहते हैं कि यह राशि बहुत कम है । वह तो यह चाहते हैं कि भारत की सारी पूंजी उन्हीं के हाथ में हो और वे अपनी मन मरजी के अनुसार भारत की अर्थ-व्यवस्था से खिलवाड़ करते रहें ।

इम्पीरियल बैंक के अंशधारियों का यह कथन है कि क्योंकि अधिकतर अंशधारी विधवा नारियां हैं, अतः प्रतिकर का दर बढ़ाया जाना चाहिए । परन्तु प्रश्न यह है कि अंशधारियों की संख्या में कितनी विधवा नारियां हैं । आपको इस के सम्बंध में आंकड़े एकत्रित करने चाहिएं ।

वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री टी० टी० कृष्णमाचारी): इसके सम्बंध में मैं बता दूं कि ३१ दिसम्बर १९५४ तक कुल १०७४३ अंशधारी थे। १९५३ में १०४७२ थे और इनमें से ७२५६ अर्थात ६९ प्रतिशत ऐसे व्यक्ति थे जिन के पास लगभग दस दस अंश थे।

श्री एच० एन० मुकर्जी : अतः मैं यह कह रहा था कि इसके सम्बन्ध में पूरे पूरे आंकड़े इकट्ठे किए जाएं। साधारणतया सभी अंशधारियों को अंश के प्रत्यक्ष मूल्यों के आधार पर ही प्रतिकर दिया जाना चाहिए, और विशेष विशेष मामलों में अर्थात विधवा नारियों को प्रतिकर अधिक भी दिया जा सकता है।

हमें प्रतिकर की राशि को प्रर्याप्त मात्रा में कम करना चाहिए और उससे बचा हुआ धन इस बैंक की नयी शाखाओं को खोलने में लगाना चाहिए।

कर्मचारियों की स्थिति के सम्बन्ध में मैं यह कहना चाहता हूं कि सरकार को इन कर्मचारियों में विश्वास रखना चाहिए। वही वास्तव में सरकार तथा देश के हितरक्षक हैं। ऐसा सुना है कि श्रम मंत्री ने ऐसा कहा है कि औद्योगिक श्रम-जीवियों के संघ के सम्बन्ध में वे एक सुन्दर सी योजना बना रहे हैं। यह, वास्तव में बड़े हर्ष की बात है। संविधान संशोधन विधेयक पर बोलते हुए हमारे प्रधान मंत्री ने कहा था कि यदि हम प्रशासन व्यवस्था में सुधार करना चाहते हैं तो उसके लिए पहले साधारण व्यक्तियों का सुधार करना होगा, उनका उत्थान करने के लिए हर प्रकार का प्रयत्न करना होगा।

इसीलिए मैं यह कहना चाहता हूं कि इम्पीरियल बैंक के प्रत्येक कर्मचारी को एक एक अंश दिया जाए, तभी आप देखेंगे कि हमारे समाज और हमारी अर्थव्यवस्था में कितना भारी परिवर्तन आएगा। यदि आप उन्हें अंश न प्रदान कर सकें तो उनकी सेवा की शर्तों में पर्याप्त सुधार करने चाहिएं।

जहां तक वेतन स्तर का सम्बन्ध है, कर्मचारियों के वेतन स्तरों में अधिक अन्तर नहीं होना चाहिए। एक औसत के आधार पर ही वेतन निर्धारित किए जाने चाहिएं। कम से कम और अधिक से अधिक दोनों सीमाएं निर्धारित की जाएं और उन्हीं के बीच में सभी के वेतन निश्चित किए जाएं।

इसके अतिरिक्त और भी कई विचारनीय मामले हैं परन्तु समय अभाव के कारण मैं उनके बारे में विचार प्रकट नहीं कर सकता। अतः अंत में मैं इस विधेयक का स्वागत करता हूं। तथापि मैं यह अवश्य कहूंगा कि अभी इस में कई परिवर्तन करने की आवश्यकता है, और मुझे आशा है कि इसके उपबंधों में अत्यावश्यक परिवर्तन किए जाएंगे।

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी : श्री आर० के० चौधरी ने मुझ पर यह आक्षेप किया था कि मैं सभा से भाग गया था। मैं तो उनके प्रश्न का उत्तर प्राप्त करने गया था। और वह यह है कि बैंक के १०,७४३ अंशधारियों में से ९,७८५ भारतीय हैं, ६१६ अभारतीय हैं, और ३४२ न्यास तथा कम्पनियां हैं।

श्री आर० के० चौधरी : इसके लिए धन्यवाद।

श्री एन० सी० चटर्जी (हुगली) : ब्रिटिश साम्राज्यवाद से स्वतंत्रा प्राप्त करने के उपरान्त भी भारत में इम्पीरियल बैंक का मौजूद होना, हमारे लिए अत्यन्त

[श्री एन० सी० चटर्जी]

लज्जा की बात है। आज यद्यपि हम राजनीतिक क्षेत्र में साम्राज्यवाद से मुक्त हो चुके हैं तथापि वह साम्राज्यवाद हमारे औद्योगिक क्षेत्र में अभी भी विद्यमान है। इस बैंक का राष्ट्रीयकरण करने के सम्बन्ध में सरकार ने जो विधेयक प्रस्तुत किया है, उसके लिए हम उसे बधाई देते हैं।

रिजर्व बैंक आफ इंडिया ने एक अखिल भारतीय ग्राम-उधार सर्वेक्षण के लिए अगस्त, १९५१ में एक निर्देशन समिति नियुक्त की थी जिसने अपने इस काम को पूरी तरह से निभाया है और ऐसी सिफारिश दी है कि सरकार की ओर से इस में भाग लेने के सिद्धान्त को स्वीकार कर लिया जाए। आज निःसंदेह ग्राम-उधार के अभाव के कारण ही कृषि संबंधी अर्थ नीति इतनी सफल नहीं हो रही है जब तक हम इसकी ओर उचित ध्यान न देंगे, तब तक हम किसी भी योजना में सफलता नहीं प्राप्त कर सकते। और प्रशासनीय त्रुटियों का सबसे बड़ा कारण यह है कि प्रशिक्षित कर्मचारी पर्याप्त संख्या में उपलब्ध नहीं हैं, और देश में परिवहन की सुविधायें प्राप्त नहीं है। देश की अधिकतर निजी वित्तीय सामर्थ्य नगरों में ही केन्द्रित है, और इसके परिणामस्वरूप जिन ग्रामों में सहकारी ऋण पद्धति नहीं है वहां पर एक भयानक अव्यवस्था सी छाई हुई है।

अतः आवश्यकता इस बात की है कि देश के बैंक केवल बड़े बड़े शहरी क्षेत्रों में ही केन्द्रित न हों, अपितु वे ग्रामीण क्षेत्रों में भी धन द्वारा सहायता करें। कुटीर उद्योगों की तब तक रक्षा न हो सकेगी जब तक कि ग्रामीणों की आर्थिक और ऋण संबंधी सहायता न की जाएगी।

विधेयक की कुछ एक बातों की ओर मैं माननीय वित्त मंत्री का ध्यान दिलाना चाहता हूं। प्रथम बात यह है कि खण्ड ७ (१) में कहा गया है कि इम्पीरियल बैंक के सभी कर्मचारी अपने अपने स्थान पर काम करते रहेंगे, सिवाय प्रबन्ध निदेशक, उप-प्रबन्धनिदेश और अन्य निदेशकों के। यह तो बड़े हर्ष की बात है कि अन्य सभी कर्मचारियों को काम पर लगा रहने दिया जाएगा, परन्तु प्रश्न यह है कि प्रबन्ध-निदेशक, सर विट्ठल चन्द वरकर को अपने काम पर क्यों न लगने दिया जाए। यदि उनका वेतन ७५०० रुपया मासिक है जो कि बहुत ज्यादा है तो वह कम किया जा सकता है, परन्तु यह तो कदापि उचित नहीं कि दयानतदारी से काम करने वाले किसी भी व्यक्ति को काम से अलग कर दिया जाए। और फिर जहां तक मैं जानता हूं कि प्रबन्ध-निदेशक और उप-प्रबन्ध-निदेशक दोनों ही बड़े परिश्रमी हैं और अपने गुणों के कारण ही उन्होंने धीरे धीरे उन्नति की है। अतः उन्हें अपने काम से अलग नहीं करना चाहिए। यह एक महान अन्याय होगा।

इसके अतिरिक्त सभी कर्मचारियों के वेतनों, अधिकारों, सुविधाओं तथा सेवा की शर्तों में परिवर्तन करने का अधिकार भी सरकार ले रही है। इसके सम्बन्ध में मैं यह कहूंगा कि इस प्रकार से कर्मचारियों के वेतनों तथा सुविधाओं को बदल देना इनके लिए हानिकारक होगा। अतः वे जिन शर्तों के अधीन काम कर रहे हैं, उन शर्तों को वैसे ही रहने दिया जाए।

विधेयक के खण्ड १६ का उप-खण्ड (१) कहता है कि राज्य बैंक का केंद्रीय कार्यालय बम्बई में होगा। वर्तमान व्यवस्था के अनुसार इम्पीरियल बैंक के केन्द्रीय

कार्यालय का कार्य बम्बई और कलकत्ता दोनों स्थानों पर होता है। इससे पूर्वी भारत और पश्चिमी भारत दोनों की व्यापारी जनता को सुविधा प्राप्त है।

इस समय केन्द्रीय कार्यालय बम्बई और कलकत्ता दोनों स्थानों में स्थित है आसाम, उड़ीसा, बिहार तथा यू० पी० के एक खण्ड के समस्त वाणिज्यिक समुदाय को लाभ होगा, क्योंकि कलकत्ता उनका और उत्तर भारत के बहुत से भाग के लिए प्रवेश पत्तन है। अतः मेरा सुझाव यह है कि वर्तमान पद्धति जारी रहनी चाहिए और वर्तमान खंड में उचित संशोधन होना चाहिये। इस परिवर्तन के लिए कोई तर्क उपस्थित नहीं किए गए हैं।

खंड १९ के बारे में श्री मुकर्जी द्वारा जो यह आक्षेप किया गया है कि यह बड़े व्यापारियों और चोर बाजारी करने वालों के हितार्थ रखा गया है नितान्त निराधार है। केन्द्रीय बोर्ड के सदस्यों में से आठ एसे होंगे जो केन्द्रीय सरकार द्वारा नाम निर्देशित होंगे। हमें पूर्ण आशा है कि यह लोग जो श्री सी० डी० देशमुख द्वारा नाम निर्देशित होंगे भले लोग होंगे कर आदि बचाने वाले नहीं होंगे। इस कार्य में उन्हें रक्षित बैंक का परामर्श भी प्राप्त होगा क्योंकि ५५ प्रतिशत अंश उक्त बैंक के होंगे। अतः स्वाभाविक ही है कि उसे निदेशकों के नामनिर्देशन का अधिकार दिया जाए। मेरा एक सुझाव यह भी है कि स्थानीय कार्यालयों के मुख्याधिकारी अथवा सचिव भी बोर्ड में होने चाहियें। वे बहुत उपयोगी सिद्ध होंगे इस बारे में संसद सदस्यों की भी उपेक्षा नहीं होनी चाहिये। उनके साथ अछूतों का सा व्यवहार किया जाना उचित नहीं है।

प्रतिकर के बारे में भी मैं कुछ कहना चाहता हूं। हम इस विषय में असीम तथा अबाध अधिकार ग्रहण कर चुके हैं, यहां तक की प्रतिकर का प्रश्न न्यायालयों में भी उठाया नहीं जा सकेगा। वाणिज्य मंत्री द्वारा दिए गए आंकडों से पता चलता है कि रक्षित बैंक के अधिकांश अंशधारी बड़े व्यापारी अथवा पूंजीपति नहीं है, अपितु मध्यम श्रेणी के और साधारण प्रकार के लोग हैं। यह अंश फटका बाजार में चलने वाले अंश नहीं हैं किन्तु इस प्रकार के अंश हैं जिन से देश को अर्थव्यवस्था को शक्ति प्राप्त होती है।

गत बीस वर्षों से इन अंशों का मूल्य ११०० अथवा १२०० रुपये रहा है। माननीय मंत्री ने सुझाव दिया है कि उन्हें पूर्णतया परिदत्त अंश के लिए १७६५ रुपये की दर से प्रतिकर मिलना चाहिए और आंशिक रूप में परिदत्त अंशों के लिए ४३१ रुपये १२ आने मिलने चाहिएं। इस सम्बन्ध में श्री आर० डी० मिश्र द्वारा सुझाई गई राशियां अपर्याप्त हैं। यह सभी रुपया इसी समय तो नहीं देना होगा और अंशधारी भी बहुत साधारण प्रकार के लोग हैं, अतः इससे किसी प्रकार के अन्याय का भय नहीं हो सकता।

श्री एस० एल० सक्सेना (गोरखपुर जिला–उत्तर): मैं सरकार को यह महत्वपूर्ण विधान प्रस्तुत करने पर बधाई देता हूं। मैं प्रसन्न हूं कि इम्पीरियल बैंक का राष्ट्रीयकरण ग्रामीण उधार सर्वेक्षण समिति के प्रतिवेदन पर किया जा रहा है और आशा करता हूं कि सरकार भविष्य में इस बात का अनुभव करेगी कि देश के विकास के लिए कृषि विकास की आवश्यकताओं को प्राथमिकता देनी चाहिये।

[श्री एस० एल० सक्सेना]

चीन के भव्य विकास का मूलकारण मुझे वहां के भूमि सुधार और कृषकों को दी गई सहायता में ही दृष्टिगोचर हुआ है । परन्तु मैं अपने देश में देखता हूं कि यद्यपि हमें स्वतन्त्रता प्राप्त किये सात या आठ वर्ष हो गये हैं परन्तु ग्रामीण लोगों की अवस्था में कोई सुधार नहीं हुआ है और बहुत सी बातों में तो वह बिगड़ी ही है ।

वर्तमान अवस्था के कारणों में से एक ग्रामीण व्यवस्था की कमी ही है । कांग्रेस में हम महाजनों के विरुद्ध शिकायतें किया करते थे और कुछ सीमा तक ग्रामीण उधार कम करने के लिए अधिनियम भी बनाए थे परन्तु उधार की नई कोई व्यवस्था नहीं की थी ।

अब मुझे आशा है कि भारत का राज्य बैंक इस बात का प्रबन्ध करेगा कि ग्रामों में प्रत्येक कृषक को उधार की सुविधाएं प्राप्त हों अन्यथा सामुदायक परियोजनाएं और विकास खण्ड निर्जीव रहेंगे ।

मेरे निर्वाचन क्षेत्र में लाखों एकड़ भूमि में बीज नहीं बोया गया क्योंकि कृषकों को न तो बीज ही मिला और न ही वे ऋण प्राप्त कर सके । उपज न होने पर कृषक महाजनों से ऋण प्राप्त करते हैं और उन्हें ५ रुपये के बदले १०० रुपये देने पड़ते हैं तकावी ऋण भी उन्हें पूरा नहीं मिलता क्योंकि आधी राशि पटवारी ही ले जाता है । कुछ वर्ष पूर्व गन्ने का भाव २ रुपये तक बढ़ गया था और प्रत्येक गन्ने के उत्पादक से २ आने प्रति मन अनिवार्य बचत के रूप में जमा किया गया । उन्हें वह राशि प्राप्त करने में भी कठिनाई होती रही है । अभी तक लाखों रुपये का भुगतान नहीं हुआ ।

ग्रामीण उधार व्यवस्था ऐसी होनी चाहिये कि कृषकों को कुएं, खाद, बैल और कृषि औज़ारों की आवश्यकता पर उधार मिल सके ।

गांवों में कुएं नहीं हैं और उन्हें ग्रीष्म ऋतु में जल प्राप्त करने के लिए मीलों दूर जाना पड़ता है । हमें देखना चाहिये कि वे ऐसी आवश्यकताओं के लिए ऋण प्राप्त कर सकें । इस विधान द्वारा ऋण व्यवस्था होगी अतः मैं इस विधेयक का समर्थन करता हूं ।

श्री एच० एन० मुकर्जी ने कहा था कि अंशधारियों को ६१ करोड़ रुपया देना पड़ेगा ।

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी : मेरा विचार है उन्होंने १६ करोड़ कहा था । प्रतिकर रूप में कुल १६ करोड़ रुपया देना पड़ेगा और अधिकतर अंशधारी जिनका उन्होंने उल्लेख किया है अर्थात वे लोग जिनके ५०० रुपये के अंश हैं उन्हें लगभग १६ करोड़ रुपया दिया जायगा ।

श्री एस० एल० सक्सेना : खैर यह भी बहुत बड़ी राशि है । यदि विधवाओं या अन्य दरिद्र लोगों को प्रतिकर देना होता तो मैं इस से अधिक दर पर सहमत हो सकता था ।

आप अंशधारियों को अंशों के मूल मूल्य के आधार पर प्रतिकर नहीं दे रहे वरन् अंशबाजार के भाव के आधार पर दे रहे हैं। मैं इसे अनुचित समझता

हूं । व अपनी लगाई हुई पूंजी से लाभ प्राप्त कर चुके हैं । आप यदि उन मूल्यों के आधार पर प्रतिकर दें जिन के आधार पर उन्होंने अंश खरीदे थे तो यह उन द्वारा लगाई गई पूंजी पर आधारित होगा और न्यायोचित होगा ।

मैं प्रतिकर के सम्बन्ध में कोई भेद भाव नहीं चाहता परन्तु अपने बैंकों में विदेशी नियंत्रण की स्थिति जानने के लिए यह जानना चाहता हूं कि विदेशी अंश है ।

उपाध्यक्ष महोदय : कुल प्राप्त पूंजी का १०.६ प्रतिशत विदेशियों का अंश है, ६१.७४ प्रतिशत भारतीयों और २७.७ प्रतिशत न्यासों और समवायों का ।

श्री एस० एल० सक्सेना : मैं चाहता हूं कि नया बैंक विदेशी स्वार्थों के अधीन नहीं होना चाहिये यह उपबन्ध किया गया है कि वही निर्देशक अंश नियत करेंगे । यह खतरनाक है । इस से तो उसी मात्रा में विदेशी नियंत्रण हो जायेगा । मेरा सुझाव है यह स्पष्ट उपबंध होना चाहिये कि नये बैंक का प्रबन्ध राज्य के हितों के लिए किया जायेगा और उसमें किसी विदेशी को अंश प्राप्त करने का अधिकार नहीं होगा ।

इस विधेयक में मुझे देश के बैंक उद्योग के राष्ट्रीयकरण का प्रारम्भ दिखाई देता है क्योंकि अन्य बैंक इस बैंक की प्रतियोगिता में नहीं ठहर सकेंगे ।

मैं चीन का उदाहरण देना चाहता हूं । चीन में सरकार के सत्तारूढ़ होने के बाद ही मास में चीन के केन्द्रीय बैंक ने सभी मूल्यों को नियंत्रणाधीन कर लिया था जो मूल्य पहले जल्दी जल्दी बदलते रहते थे । इससे राष्ट्रीय उपक्रमों में पूंजी लगा सके और जो राष्ट्रीय राजस्व १९५० में केवल १२.० करोड़ रुपया था वह अब ४६०० करोड़ रुपया हो गया है । चीन सरकार ने गत पांच वर्षों में ६०० करोड़ रुपया ग्रामीण उधार के रूप में दिया है । भारत के राज्य बैंक को भी उसी प्रकार देश के हितों की देखभाल करनी चाहिये ।

हमारे देश में सहकारी समितियों को सफलता नहीं मिली । परन्तु चीन रूस और जर्मनी जैसे देशों में सामाजिक जीवन में सारा कार्य सहकारी समितियों द्वारा होता है । हमारे देश में सब से बड़ी समिति गन्ना उत्पादकों की है परन्तु ९० प्रतिशत उत्पादकों को कोई लाभ नहीं होता । निर्देशक ही अपने स्वार्थ के लिए उसका प्रयोग करते हैं । मेरा सुझाव है कि सरकार को सहकारी समितियों के कार्य की जांच करनी चाहिये ।

संभवतः माननीय मंत्री ने बताया था कि जब रक्षित बैंक लोगों को १.५ प्रतिशत पर ब्याज देता है सहकारी समितियां १० प्रतिशत ब्याज पर ऋण देती हैं । यह बहुत असाधारण बात है । इस बात की जांच के लिए एक अधिकृत आयोग बनाना चाहिये जो सहकारी समितियों की असफलता के कारण की जांच करे । जो लोग भ्रष्टाचार के लिए उत्तरदायी हों उन्हें निकाल देना चाहिए । मुझे आशा है कि भारत का राज्य बैंक भी ग्रामीण सहकारी समितियों को सुदृढ़ करने में सहायता देगा ।

मुझे विश्वास है कि इस बैंक में सर्वोत्तम व्यक्तियों को नियुक्त किया जायेगा । इस बैंक का विधान सुचारू

[श्री एस० एल० सक्सेना]

रूप से बनाया जाना चाहिये । मेरा सुझाव है कि आरम्भ में इस बैंक का निदेशक कर्मचारियों द्वारा चुना गया व्यक्ति होना चाहिये । राज्य बैंक के निदेशकों में कम से कम वह कर्मचारियों की भावनाओं को व्यक्त कर सकेगा । वह कर्मचारियों के हितों और लाभों को देख सकेगा । इस प्रकार का प्रारम्भ बहुत अच्छा होगा ।

श्री बर्मन (उत्तर बंगाल—रक्षित अनुसूचित जातियां) माननीय मंत्री ने ग्रामीण क्षेत्रों के लिए उच्च आशाएं अभिव्यक्त की है । भाव और व्यवहार में सामंजस्य होना चाहिये । भूमि सुधारों से ग्रामीण अर्थ व्यवस्था में और भी तंगी आ गई है । हम महाजनी और अधिक ब्याज के बारे में अधिनियम पारित करते हैं । परन्तु उससे क्या होता है ? ऋण देने वाले चोरी छिपे ऋण देने लगते । और ऋण लेने वाले अपनी आवश्यकता के लिए उनसे अधिकाधिक ब्याज पर ऋण लेते हैं । कारण स्पष्ट है कि उस समय उनकी सहायता करने वाला कोई नहीं होता । आज कल कृषि उत्पादों के मूल्य तेजी से गिर रहे हैं और उस से ग्रामीण लोगों की आर्थिक अवस्था बहुत तंग हो गई है । अतः उनकी स्थिति सुधारने के लिए शीघ्र कार्य करना चाहिए । मैं राविन्द्र नाथ टेगोर का एक पद उद्धरित करता हूं ।

स्वार्थ सभापति अपघाते अकस्मात
परिपूर्ण स्फीति माझे दारुण आघात
विटीर्ण विभीर्ण करि चुर्ण करे तारे
घन झंझा झंकारित दुर्योग आधारे
एकेर स्फधरि कमनाहि देय स्थान
दीर्घ काल निखिलरें विराट विधान

भाव यह है कि लोभ का विश्वसं आकस्मिक हुआ करता है उसकी स्वाभाविक मृत्यु नहीं होती । एक दृढ़ आघात ही उसे समाप्त करता है ।

मैं इम्पीरियल बैंक के अंशधारियों पर आरोप नहीं लगाता । व्यवहारिक रूप में प्रबन्धकर्ता अर्थात निदेशक ही पूंजी के स्वामी हैं । ग्रामीण बैंकिंग जांच प्रतिवेदन में इम्पीरियल बैंक और अन्य वाणिज्यिक बैंकों से कहा गया था कि वे गांवों में अपनी शाखाएं खोलें । परन्तु वे तो केवल लाभ की ही बात सोच सकते थे । अतः प्रतिवेदन का कोई लाभ नहीं हुआ था । इतने वर्षों की छान बीन और शंकाओं के पश्चात सरकार ने अनुभव किया है कि जिन बैंकों की दृष्टि केवल लाभ पर ही लगी रहती है उनसे यह आशा नहीं की जा सकती कि वे शोषणों के लिए कुछ करेंगे । इम्पीरियल बैंक के प्रबन्धकर्ताओं ने अपने कर्तव्य का पालन नहीं किया और अब सरकार इस कार्य को राज्य उपक्रम के रूप में हाथ में ले रही है ।

मैं अपने कुछ मित्रों से इस बात पर सहमत हूं कि जिन लोगों ने बाद में अधिक मूल्य पर अंश खरीदे थे उनके इस अधिक मूल्य का स्वामित्व हरण नहीं होना चाहिये । हम राज्य विधियों में भी जमींदारी की समाप्ति आदि में कतिपय सीमा तक प्रतिकर की एक दर का उपबंध करते हैं और उसके पश्चात प्रतिकर की मात्रा कम होती है । यहां भी इस प्रकार के विभेद के लिए अधिक अंशों के स्वामियों और कम अंशों के स्वामियों में अन्तर रखना चाहिए जिससे हम पर आरोप न आये । और इससे हम वस्तुतः कल्याणकारी राज्य की स्थापना करेंगे ।

प्रधान मंत्री ने इस सभा में कहा था कि यदि हम पूर्ण प्रतिकर दें तो इससे धनवान धनवान बना रहेगा और दरिद्र की अवस्था नहीं सुधरेगी । इस मामले में प्रतिकर अनुपात भले ही भिन्न हो परन्तु हमें इस सिद्धांत का पालन अवश्य करना चाहिये ।

माननीय मंत्री ने कहा था कि इस देश में कृषक लोग बहु संख्य हैं । उनकी परिस्थितियां बिगड़ी हुई हैं और संभवतः वे किसी दिन क्रान्ति कर दें । परन्तु मैं कहना चाहता हूं कि वे और लोगों की दया पर निर्भर करते हैं । औद्योगिक श्रमिक संगठित हैं और नेता लोग उनका पथ प्रदर्शन करने के लिए उन तक पहुंच सकते हैं । परन्तु कृषक बिखरे हुए हैं । अतः ये लोग क्रान्ति नहीं कर सकते । वे सर्वथा सरकार पर निर्भर करते हैं अतः सरकार को ही उनके हितों की रक्षा करनी चाहिये । यदि राज्य बैंक स्थापित करने के पश्चात भी ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि ऋण न दिया गया तो खाद्यान्न की समस्या अत्यन्त कठिन हो जायेगी ।

कुमारी एनी मेस्करीन (त्रिवेन्द्रम) : वर्तमान विधेयक संविधान के संशोधन के पश्चात आया है, अतः इससे कुछ अंश तक समाजवादी व्यवस्था की पुष्टि होती है । यह विधेयक अपने प्रकार का प्रथम नहीं है । इसके पूर्व भारत का रक्षित बैंक विधेयक, औद्योगिक वित्त निगम विधेयक और कृषि वित्त निगम विधेयक प्रस्तुत हो चुके हैं । यह सभी विधान बड़े अच्छे हैं, किन्तु साथ ही मैं सरकार का ध्यान कुछ ऐसी बातों की ओर आकर्षित करना चाहती हूं जो उन्नति के मार्ग में बाधा-स्वरूप हैं । अनुभव यह है कि इन विधानों के उद्देश्यों की पूर्ति नहीं हो पाती । संभव है कि इन विधानों में ही कुछ कमी हो अथवा उनकी कमी हो, जो कि इन विधानों को लागू करते हैं, किन्तु मैं सरकार से यह निवेदन करती हूं कि वह इन विधानों के कार्यान्वित की ओर विशेष ध्यान दे और इस सम्बन्ध में भारत के राज्य बैंक के साथ एक नई प्रथा कायम करे ।

जैसा मैंने कहा, भारत के राज्य बैंक का बनना देश के लिए बहुत लाभकारी है । इससे हमारे देश क आर्थिक संसाधन दृढ़ होंगे, कृषकों को अधिक ऋण मिलने लगेगा, मुद्रास्फीति रुकेगी, और उत्पादन बढ़ेगा ।

इस प्रकार के बैंक से अनेक लाभ हैं इससे राष्ट्र के संसाधनों का इस प्रकार से एकत्र करना है, जिससे गणराज्य को अधिक से अधिक लाभ हो । देहात में ऋण सम्बन्धी अखिल भारतीय सर्वेक्षण के आंकड़ों से पता चलता है कि ग्रामों में ६९.० प्रतिशत लोग कृषक हैं, ६ प्रतिशत लोग उद्योग धन्धे करते हैं, १.६ प्रतिशत लोग व्यापार करते हैं और १२.१ प्रतिशत लोग परिवहन कार्य करते हैं । राष्ट्रीय आय समिति ने १९५१ की कुल राष्ट्रीय आय ९५५० करोड़ रु० बताई है । सबसे अधिक आय कृषि और पशु-पालन से हुई है, जिससे पता चलता है कि हम आर्थिक तथा औद्योगिक अन्य क्षेत्रों में बहुत पिछड़े हुये हैं ।

दूसरी बात मैं ग्रामीण ऋण के बारे में कहूंगी । इस विधि के पारित होने से कृषकों को बड़ा लाभ होगा और वे महा-जनों के चंगुल से बच सकेंगे ।

बैंकों के बारे में १९५२ के सांख्यकीय विवरणों से पता चलता है कि भारत में

[कुमारी एनी मेस्करीन]

अनुसूचित तथा अनानुसूचित सहकारी बैंक ९६२ हैं और इसी प्रकार के विदेशी बैंक ६७६ हैं। मैं यह पूछना चाहती हूं कि ये विदेशी बैंक इस देश के हित के लिये चलाये जाते हैं अथवा अपने निजी देशों के हित के लिए।

विवरणों में दिय गये आंकड़ों से पता चलता है कि १९५२ में अनुसूचित बैंकों में १७५३३ लाख रुपये जमा हुए, १३०४३ लाख रुपयों का नियोजन हुआ और १८२ लाख रुपये का कुल लाभ हुआ। भारत के इम्पीरियल बैंक को जी लाभ हुआ, उससे यह लाभ कहीं अधिक है। यह अच्छा है कि पहले सालों के मुकाबले में १९५२ में विदेशी अनुसूचित बैंकों में बहुत कम रुपया जमा हुआ, किन्तु सरकार को इस ओर अवश्य ध्यान देना चाहिए कि ये बैंक इम्पीरियल बैंक से अधिक लाभ उठा रहे हैं, यद्यपि ऋणों और अग्रिम धन के रूप में रुपये के लेन देन का जितना काम हुआ, वह देशी बैंकों के मुकाबले में कहीं कम है। द्वितीय, रक्षित पूंजी भी तुलनात्मक रूप में कम है। १९५२ में अनुसूचित और अनानुसूचित बैंकों में रक्षित पूंजी बिलकुल नहीं थी।

भारत के राज्य बैंक का कार्य-क्षेत्र अति व्यापक है। माननीय मंत्री ने खंड ३४ और ३५ का निर्देशन करते हुए बताया था कि यह बैंक भारत के अन्य बैंकों तथा सहकारी बैंकों की देख रेख करेगा और उन पर नियन्त्रण रखेगा। मैं चाहती हूं कि सरकार ऋण की ऐसी व्यवस्था करे, जिससे सारे देश को लाभ हो और कृषि की खूब उन्नति हो

अब मैं सरकार का ध्यान लेखापरीक्षा विभाग की ओर आकर्षित करना चाहती हूं। समवाय अधिनियम के अनुसार सरकार को अपने लेखापरीक्षकों को नियुक्त करने का अधिकार है जो बाद में अपन लेखापालों को चुन सकते हैं। मैं सरकार को बतांना चाहती हूं कि उस ने सबसे बड़ी गलती लेखापरीक्षा के सम्बन्ध में की है।

[पंडित ठाकुरदास भार्गव पीठासीन हुये]

मैं यहां पर विशिष्ट तथ्यों का उल्लेख नहीं करना चाहती, किन्तु इतना सुझाव अवश्य देना चाहती हूं कि लेखा-परीक्षा विभाग की निरन्तर जांच होती रहनी चाहिए और उस पर कार्यपालिका का नियन्त्रण रहना चाहिए, ताकि केवल उन्हीं लोगों को ऋण का लाभ न मिले जिनको वे चाहतें हैं। इतना कह कर मैं इस विधान के प्रस्तुत करने के लिए सरकार को बधाई देती हूं।

श्री एन० आर० मुनिस्वामी (वान्दिवाश): मेरा ऐसा विचार था भारत के इम्पीरियल बैंक के राष्ट्रीयकरण से केवल इतना ही तात्पर्य है कि उसके नाम में परिवर्तन कर दिया जायेगा, किन्तु उसके कार्य पहले जैसे ही रहेंगे। किन्तु मैं देखता हूं कि केवल नाम में ही परिवर्तन नहीं किया गया है, अपितु उसके कार्य भी बदल दिये गये हैं।

इस विधेयक के पुनःस्थापन का मुख्य उद्देश्य यह है कि देहात में ऋण सम्बन्धी अखिल भारतीय सर्वेक्षण की इस सिफारिश को पूरा किया जाये कि देश के सभी लोगों को वित्तीय सहायता का लाभ उठाने को मिल जाये।

हम सब जानते हैं कि भारत में ५ लाख से भी अधिक ग्राम हैं हमारे यहां सहस्रों ऋण सम्बन्धी तथा सहकारी समितियां हैं। किन्तु किसानों को समय पर ऋण नहीं मिल पाता। इस विधेयक का मुख्य उद्देश्य यह होना चाहिए कि किसानों को समय पर वित्तीय सहायता मिले।

अब इम्पीरियल बैंक भारत के राज्य बैंक में परिवर्तित हो जायेगा, जिसके परिणामस्वरूप दो निधियों के निर्माण के लिये भारत के रक्षित बैंक अधिनियम में संशोधन करना होगा। पहली राष्ट्रीय कृषि ऋण (दीर्घ कालीन संचालन) निधि है। दूसरी राष्ट्रीय कृषि ऋण (स्थायी करण) निधि है, जिससे अल्प कालीन ऋणों को मध्य कालीन ऋणों में परिवर्तित करके किसानों की सहायता की जा सके और बैंक जल्दी धन वितरित कर सकें। देहात में ऋण संबंधी सर्वेक्षण के प्रतिवेदन से पता चलता है कि महाजन किसानों को ४४ प्रतिशत ऋण देते हैं। जब कृषकों को धन की जरूरत पड़ती है, तब उनको महाजनों से तुरन्त ऋण मिल जाता है। फसल समाप्त होने के बाद, किसान उस रुपये को वापिस कर देता है। किन्तु जहां तक सहकारी बैंकों का सम्बन्ध है, रुपया मिलने में काफी समय लगता है। इस विधेयक में कृषकों की सहायता के लिये ग्रामीण क्षेत्रों में बैंक की ४०० शाखायें खोलने का उपबन्ध किया गया है, किन्तु मेरी समझ में यह संख्या बहुत अपर्याप्त है और कम से कम ४०,००० शाखायें खुलनी चाहिए। यदि हम चाहते हैं कि ग्रामीण लोगों को इन बैंकों से लाभ पहुंचे, तो, उन्हें या तो तुरन्त रुपया दे दिया जाये, या उसी समय उनके प्रार्थना-पत्र अस्वीकृत कर दिये जायें, ताकि वे किसी अन्य साधन से सहायता प्राप्त कर सकें। यद्यपि बैंक और सहकारी समितियां स्थानीय साहूकारों के मुकाबले में बहुत कम ब्याज लेते हैं, किन्तु वहां से ऋण मिलने में बड़ी देरी लगती है। अतः इस विधेयक का उद्देश्य तभी पूरा होगा जब कि किसानों को जल्दी रुपया मिलने लगेगा।

माननीय मंत्री ने बताया है कि प्रतिकर के रूप में हमें अंशधारियों को कम से कम १९ करोड़ रुपये देना है १९ करोड़ रुपये देने पर जो अंश रक्षित बैंक द्वारा गृहण कर लिये जायेंगे, उनमें से ४५ प्रतिशत अंशों का पुनः आवंटन किया जायेगा। मैं चाहता हूं कि यह संख्या ४९ प्रतिशत कर दी जाये और रक्षित बैंक द्वारा ५१ प्रतिशत अंश रखे जायें।

इस अधिनियम के उपबन्धों से मालूम होता है कि प्रतिकर या तो नकद रुपये के रूप में अथवा कुछ प्रतिभूतियों के रूप में दिया जायेगा, किन्तु यह बात स्पष्ट रूप से नहीं बताई गई है कि कितना नकदी के रूप में तथा कितना प्रतिभूति के रूप में दिया जायेगा।

यह बताया गया है कि इस बैंक के बनाने का उद्देश्य यह है कि बैंकों में जो रुपया जमा करने तथा उसके लेन देन के सम्बन्ध में खर्चे में जो कमी होगी, उसको राष्ट्र निर्माण कार्यों में लगाया जायेगा। यदि इस प्रकार काफी बचत होती है, तब तो ठीक है, किन्तु यदि कुछ ही हजार रुपयों की बचत हुई तो मैं नहीं समझता कि उससे राष्ट्र निर्माण कार्यों में कुछ भी सहायता मिल सकेगा।

[एन० आर० मुनिस्वामी]

कर्मचारियों के वेतनों के सम्बन्ध में मैं कहना चाहता हूं कि कम से कम वेतन पाने वाले तथा अधिकतम वेतन पाने वाले में अधिक अन्तर नहीं होना चाहिए। उनके वेतनों का अनुपात १:१० होना चाहिए। चीन में तो यह अनुपात १:४ या १:५ का है। मैं उस सीमा तक तो नहीं जाना चाहता किन्तु इतना अवश्य चाहता हूं कि आज जो सौ गुना अन्तर है उसको दस गुना कर दिया जाय।

उन धन राशियों के सम्बन्ध में, जो कि रक्षित बैंक अथवा राज्य बैंक द्वारा राज्यों के बकों को दी जायेंगी, मैं चाहता हूं कि इस बात की ओर विशेष ध्यान दिया जाये कि राज्यों के बैंक उस राशि को सहकारी बैंकों और भूमि बन्धक बैंकों को ठीक समय पर रुपया मिल जाय और सहकारी निदेशक तथा पदाधिकारी, जो कि सामान्यतः ग्रामों की स्थानीय राजनीति से प्रभावित रहते हैं और कुछ प्रभाव शाली व्यक्तियों का ही लाभ करने की सोचते हैं, कोई विलम्बकारी चाल न चल पायें। इस सम्बन्ध में कठोर अनुदेश जारी कर दिये जाने चाहिएं कि पदाधिकारी इस बात का ध्यान रखें कि रुपया देने में एक सप्ताह से अधिक न लगे अन्यथा इस विधेयक का उद्देश्य ही समाप्त हो जायेगा। मुझे आशा है कि माननीय मंत्री मेरी बातों पर विचार करेंगे।

श्री मूलचन्द दुबे (जिला फर्रुखाबाद—उत्तर) : मैं इस विधेयक के लिये माननीय मंत्री को बधाई देता हूं। ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि उधार की समस्त प्रणाली खराब हो गई थी और ऐसे विधेयक की बहुत समय से आवश्यकता थी ताकि किसानों को उचित ब्याज पर ऋण मिल सके। किन्तु मैं नहीं समझता कि इस विधेयक से कहां तक उद्देश्य की पूर्ति होगी। प्रस्तुत विधेयक के एक खण्ड में बताया गया है कि ये बक व्यापार के ढंग पर चलाये जायेंगे। इसका परिणाम यह होगा कि इनमें लाभ करने की प्रवृति आ जायगी और किसान लाभ उठाने से वंचित रह जायेंगे।

ग्रामीण क्षेत्रों में बहुत अधिक संख्या में बैंकों का खोलना, मेरे विचार में, ठीक नहीं है, क्यों कि उन पर शहर के बैंकों से भी अधिक खर्चा पड़ेगा। इसके अलावा वहां रुपया सुरिक्षत नहीं रहेगा यदि जिले के मख्यालयों से ग्रामों को रुपया भेजा जाये, तो उसमें भी काफी खर्चा होगा। अतः इस उद्देश्य की प्राप्ति का एक मात्र उपाय केवल यह है कि हम सहकारी समितियों को अधिक से अधिक सहायता दें। इस समय सहकारी समितियों के द्वारा किसानों को जो ऋण दिया गया है, वह कुल ग्रामीण उधार का ३.३ प्रतिशत कहा जाता है। इसके अलावा यह भी कहा जाता है कि सहकारी समितियाँ इस संबंध में असफल रही हैं।

हमें ग्रामीण क्षेत्रों में सहकारी समितियों को सफल ही नहीं बनाना है, अपितु हमें प्रत्येक ग्राम में एक सहकारी समिति, जोकि एक बहु प्रयोजनीय समिति होगी, स्थापित करना है। हमें प्रत्येक ग्राम में ऐसे आदमी रखना चाहिए जो कि कृषक को सलाह दे सकें और साथ ही बैंक को भी यह बता सकें कि अमुक व्यक्ति को सहायता की आवश्यकता है या नही। प्रायः खेती के लिये पैसा लेकर दूसरे

कामों में लगाया जाता है। इस लिये इसका पूरा पूरा परीक्षण होना चाहिये।

ऋण यथासंभव समय से दिये जायें और फसल पर वापस लिये जायें। माल बेचने की सुविधायें होने पर ऋण वसूल करने में कोई परेशानी न होगी एक बात और है कि छोटे या बीच के खेतिहरों के लिये ऋणों के लिये इतनी जमानत दे सकना सम्भव न होगा। प्रति गांव में लोगों को सहानुभूतिपूर्वक परामर्श देनेवाले और आवश्यक रुपया दिलाने वाले व्यक्ति भी होने चाहियें। सहकारी समितियां माल बेचने का भी प्रबंध करें और सारा माल एकत्र करने के बाद उसे बेच दें और ऋण की राशि घटाने के बाद शेष राशि किसानों को दे दें।

अतः इस विशाल समस्या का समाधान इस विधेयक के पास होने से ही नहीं हो सकता। हमें लाखों कार्यकर्त्ता चाहिये। पर यदि यह विधान सफल हो गया, तो बेकारी की समस्या दूर हो सकेगी और देश की अर्थव्यवस्था सुधर सकेगी। सरकार पूरे दिल से काम करने का वादा करती है, पर वह निष्पादित अधूरे दिल से ही किया जाता है।

यदि ५०० रुपये के अंश के लिये १७६५ रुपये दिये जाते हैं, तो इसे अपर्याप्त नहीं कहा जा सकता। २०–३० वर्ष तक ब्याज और लाभांश के अतिरिक्त यदि किसी को तिगुनी राशि मिल जाये। और वह भी जब यह मूल्य गत वर्ष अधिक रहने पर मध्यमान मूल्य के अनुसार जोड़ा गया है, तो इस क्षतिपूर्ति को अपर्याप्त नहीं कहा जा सकता।

यह बड़ा अच्छा विधेयक है और यदि यह पूर्णतः कार्यान्वित हो सका, तो यह किसानों की आवश्यकताओं की पूर्ति करेगा।

श्री एन० एम० लिंगम् (कोयम्बटूर) : श्री गुह जैसे भूतपूर्व क्रांतिकारी द्वारा इस विधेयक का संचालन एक शुभ लक्षण है। आर्थिक नीति संबंधी संकल्प के पास होने के बाद ही हमने एक तो संविधान में संशोधन संबंधी विधेयक पास किया है, और दूसरे अब हम यह विधेयक पास करने जा रहे हैं।

महत्व की दृष्टि से इसे एक साहसपूर्ण कदम बताया गया है, पर १९४८ में ही बैंकिंग जांच समिति ने इस बैंक पर सरकारी नियंत्रण बढ़ाने की बात कही थी। फिर रक्षित बैंक द्वारा देहाती ऋण व्यवस्था के संबंध में नियुक्त की गयी समिति का प्रतिवेदन आया और यह विधेयक उसके फलस्वरूप ही प्रस्तुत किया गया है। इस पर विचार करते हुए हमें देहाती ऋण समस्या के विशाल पहलू पर और ५० वर्ष से विद्यमान सहकारी समितियों की असफलता के कारणों पर ध्यान रखना होगा।

पहले तो किसानों को मिलने वाले ऋण की राशि कम होने से किसानों को कोई लाभ न होता था। किसान को स्वयं बचत करने की आदत न थी और ऋण चुकाने के लिये वह और अधिक ब्याज पर ऋण लेता था। यह वर्षों तक चलता रहा, और जन साधारण के आर्थिक जीवन पर सहकारी आन्दोलन का कुछ भी विशिष्ट प्रभाव न पड़ा। देहाती क्षेत्रों के संगठित विकास के लिये एक संगठित योजना का यह एक अंग मात्र है, अभी गोदामों का प्रबंध करना, माल संवारने और बेचने के लिये संगठन बनाना तथा

[श्री एन० एम० लिंगम्]

लोगों को इन कामों के लिये शिक्षित करना आदि समस्यायें भी हैं। इन क्षेत्रों में देश में नाममात्र की ही प्रगति हुई है। देश में राज्य बैंक का जाल बिछाने में अब देर न लगेगी, अतः इन समस्याओं पर भी ध्यान दिया जाये।

कुछ सदस्यों के सुझाव थे कि इम्पीरियल बैंक से पृथक एक नया राज्य बैंक बनाना चाहिए था, या इम्पीरियल बैंक का नियंत्रण और अधिक कर देना चाहिये था। पर न तो प्रतियोगिता में एक नया बैंक खड़ा करना ही सरल था, न इम्पीरियल बैंक ही नियंत्रण के बाद भी देहाती ऋण व्यवस्था में सहायक सिद्ध हो सकता था।

देहाती ऋण सर्वेक्षण समिति के प्रतिवेदन के अनुसार सहयोग शब्द का अर्थ ५० वर्ष से चला आता हुआ संकीर्ण अर्थ नहीं है, बल्कि सामान्य उद्देश्य से देश के गांवों की शक्ति और भारतीय राज्य की शक्ति के संगठित होने का नाम ही व्यापक अर्थ में सहयोग है। पहला प्रगतिहीनता का और दूसरा प्रगतिशीलता का उपलक्षण है देश के आर्थिक विकास के लिये यह व्यापक अर्थ वाला सहयोग नितान्त अपेक्षित है। यही सरकार का लक्ष्य है आशा है, सरकार इसके पास हो जाने के बाद फिर कुछ और उपाय भी करेगी जिससे देहाती निर्धनता और ऋणग्रस्तता दूर हो जाये।

अंशों के मूल्य की दृष्टि में क्षति-पूर्ति की प्रस्तावित मात्रा अधिक है, पर ये अंश, कई मालिकों के पास आ जा चुके हैं, अतः एक क्षतिपूर्ति देना वर्तमान मालिकों के प्रति एक अन्याय होगा। मैं अन्य सदस्यों की यह बात नहीं मानता कि यह पूंजी बेईमानी से कमाये गये रुपये की थी। सरकार का लक्ष्य निर्धनता दूर करना है, अतः इसे मान लेने में विशेष हानि नहीं है। ब्याज की दर और क्षतिपूर्ति बन्ध-पत्रों की अवधि के बारे में विधेयक में जो कमियां हैं, आशा है उन में सुधार किया जायेगा।

स्थानीय सार्वजनिक और सहकारी संस्थाओं का असफल हो जाना बड़ी ही खेदजनक बात है, और समिति ने राज्य के उसमें शामिल होने का जो सुझाव दिया है, हम कह नहीं सकते कि उसमें कितनी सफलता मिलेगी। हम लोग स्वभावतः सहयोग के प्रति उदासीन रहते हैं। राजनीति, अक्षमता, और अज्ञान प्रगति के आड़े आ जाते हैं। मद्रास में जहां सहयोग कुछ सफल माना जाता है। जमीन बंधक रखने वाले बैंक भी पर्याप्त प्रतिभूति के बिना ऋण नहीं देते। जब तक हम उत्पादन को प्रतिभूति स्वरूप न मानेंगे, देहाती क्षेत्रों में ऋण व्यवस्था का विस्तार नहीं किया जा सकता।

पुराने ऋणों को समाप्त करने का भी प्रश्न है इन कारणों से यह बैंक देहात में बहुत थोड़े व्यक्तियों का भला कर सकेगा। व्यापारिक बैंकों ने देहातों में शाखायें नहीं खोलीं। इम्पीरियल बैंक ने भी समिति के प्रतिवेदन के बाद ही इस विस्तार की ओर ध्यान दिया, पर वह भी विशेष प्रगति नहीं कर सका। अतः राज्य को आगे बढ़ना पड़ा। इन प्रस्तावों की सबसे अच्छी बात यह है कि सभी शाखा एक जैसी ही होंगी।

प्रशासन व्यवस्था में भी मामूली सुधार करना होगा। राष्ट्रीय विस्तार

सेवा खंडों और सामुदायिक परियोजनाओं को सरकार प्रत्यक्ष ऋण देती है। लोगों को तकावी ऋण भी दिये जाते हैं। फिर सहकारी ऋण व्यवस्था है। पर इन सब में संगठन नहीं है। मेरा सुझाव है कि प्रत्येक जिले में कलक्टर के अधीन जिला विकास बोर्ड हो और विभागों के अधिकारी तथा अर्हताप्राप्त गैर-सरकारी व्यक्ति उसके सदस्य हों, और विभागों के अधिकारी राज्य सरकार में अपने उच्च अधिकारी के प्रति नहीं बल्कि इस बोर्ड के ही प्रति उत्तरदायी हों। इस प्रकार के सहयोग के बिना प्रगति नहीं हो सकती।

देहाती उधार सर्वेक्षण समिति ने जिला प्रशासन के परिवर्तन के लिये कुछ सुझाव दिये हैं यद्यपि वे काफी नहीं हैं। जिले को कुटीर उद्योगों के विकास के साथ ही देहाती ऋण व्यवस्था के विस्तार के प्रति भी उत्तरदायी होना चाहिए। अतः इन व्यापक प्रश्नों को भी निपटाया जाना चाहिए।

मैं विधेयक की सफलता चाहता हूं। पुराने समाज के स्थान पर नया समाज बन रहा है।

श्री आर० डी० मिश्र (जिला बुलन्दशहर) : सभापति महोदय, मैं आपका आभारी हूं कि आप ने इस महत्वपूर्ण बिल पर मुझे बोलने का मौका दिया।

सबसे पहले मैं रिजर्व बैंक के गवर्नर साहब को मुबारकबाद देता हूं जिन्होंने कि इस सर्वे कमेटी को मुकर्रर किया और जिस ने यह सिफारिश की कि इम्पीरियल बैंक को नेशनलाइज किया जाय स्टेट ओंड किया जाय। उसके बाद मैं अपनी गवर्नमेन्ट को भी मुबारकबाद देता हूं कि उसने उस कमेटी की सिफारिश को मान कर यह बिल हमारे सामने रखा है। यह हमारे देश की बहुत पुरानी मांग थी कि इम्पीरियल बैंक विदेशियों के हाथ में है, और हमारे देश का काम पूरा नहीं कर रहा है, वह हमारे हाथ में आना चाहिए। हमारे देश की अवस्था बदलने के बाद इसमें जो विदेशियों का बहुत सा रुपया था, वह उसको जब उठा ले गये तो उस में बहुत कम और मामूली सा रुपया रह गया लेकिन इम्पीरियल बैंक का काम जिस तरीके से चल रहा था उससे हमारे गरीब किसान भाइयों को, जो देहात में रहते हैं उनको कोई खास फायदा नहीं पहुंचता था। सिर्फ शहरी जनता को इससे फायदा पहुंचता था। सर्वे कमेटी ने यह देखकर कि कोआपरेटिव की तहरीक हमारे यहां कामयाब नहीं हो रही है, क्योंकि उनके पास रुपया नहीं पहुंचता है, मुनासिब समझा कि इस इम्पीरियल बैंक को स्टेट ओन्ड किया जाय या पार्टली स्टेट ओन्ड किया जाय और पार्टली नान आफिशल्स के हाथ में रखा जाय। और इसी मंशा को ले कर गवर्नमेंट ने भी अपने आब्जेक्ट्स में यह बात जाहिर की है कि हम इसी मंशा से और जो सर्वे कमेटी ने रिपोर्ट की है उसके मुताबिक इस बैंक को अपने हाथ में ले रहे हैं। गवर्नमेंट का यह काम निहायत मुनासिब है और मैं इसको खुश-आमदीद कहता हूं और इसका स्वागत करता हूं।

लेकिन साथ ही मैं यह समझता हूं कि इस बिल के अन्दर दो ही खास बातें हैं। एक तो यह कि जो इम्पीरियल बैंक है उसका ऊपर का मैनेजमेन्ट बदला जा रहा है, दूसरे यह कि जो पहले के हिस्सेदार हैं उन लोगों के तमाम शेयर रिजर्व बैंक के हो जायंगे और उन लोगों

[श्री आर० डी० मिश्र]

को उसका मुआवजा दे दिया जायेगा। बाकी जो ढांचा इम्पीरियल बैंक का है उसको बदस्तूर उसी तरीके का रखा जायेगा। हां, अन्दर इस बिल में रखा गया है कि ४०० और शाखें खोली जायेंगी जिससे कि देश में इसका जाल बिछ जाय। में उम्मीद करता करता हूं कि जिस आशा से यह बिल लाया गया है कि देहात वालों को कर्जा दिया जाय और उनकी मदद की जाय, वह पूरी होंगी और यह बिल कामयाब होगा।

लेकिन इस वक्त हमारे सामने यह सवाल नहीं है कि आगे जाकर किस तरीके से काम होगा, इस वक्त हमारे सामने सवाल यह है कि जो मुआवजा हम इस वक्त दे रहे हैं वह मुआवजा ठीक है या ठीक नहीं है। सबसे पहली बात तो यह कि जिस वक्त हमारे सामने कान्स्टिट्यूशन ऐमेन्डमेंट बिल आया था, देश के सामने आया था उस वक्त बहुत हाय हाय मचाई गई कि यह जो कान्स्टिट्यूशन का ऐमेंडमेंट किया जा रहा है उसका मंशा यह है कि गवर्नमेन्ट जो जायदाद आइन्दा लेगी उसका कोई मुआवजा नहीं देगी, और इसीलिये अदालतों का दरवाजा बन्द किया जा रहा है और गवर्नमेंट जो है वह अपनी मर्जी के मुताबिक जो मुआवजा चाहेगी मुकर्रर कर लेगी, बिलकुल नाम मात्र का मुआवजा होगा। जो डर उस वक्त देश में था कि इस कान्स्टीट्यूशन के ऐमेंडमेंट से यह बात हो जाने वाली है, वह डर इस बिल से दूर हो जायगा। उस कान्स्टिट्यूशन ऐमेंडमेंट के बाद ही यह बिल हमारे सामने आ रहा है और इस बिल में जो मुआवजा रखा गया है वह मार्केट वैल्यू से जहां तक मैं समझता हूं, आज बाजार में जो शेअर्स की वैल्यू है उससे, कहीं ज्यादा है। जिस दिन यह बिल हमारे सामने आया था उसके पहले और उस दिन के खुलने के समय बाजार में फुल्ली पेड-अप शेअर की कीमत १५८० रु० थी और जो पार्टली पेड-अप शेयर थे जिनके लिये सिर्फ १२५ रु० अदा किया गया था, उस की कीमत ३९० रु० थी। लेकिन इस बिल में फुल्ली पेड-अप शेअर का मुआवजा १७६५ रु० १० आ० और पार्टली पेड-अप शेअर का मुआवजा ४३१ रु० १२ आ० ४ पा० रखा गया है। यह सोचने की बात है कि जो ऐश्योरेंस हमारे प्राइम मिनिस्टर ने और हमारी गवर्नमेंट ने दिया था कि जब भी कोई चीज हम कम्पल्सेरिली लेंगे तो उसका मुआवजा देंगे, और जो मुआवजा दिसम्बर के महीने में देने का वायदा किया गया था जिस वक्त कि हमारे फाइनेंस मिनिस्टर ने ऐलान किया था कि हम मार्केट वैल्यू पर मुआवजा देंगे दोनो ही पूरे हुए।

अब हमारे सामने सवाल यह रह जाता है कि आखिर मार्केट वैल्यू क्या चीज है। अव्वल तो हमें यह देखना है कि जहां हमने जमींदारों की जायदादें और सम्पत्तियां ली थीं, वहां हम ने उनको कितना मुआवजा दिया था। हमारे यू० पी० में तमाम जमीदारियां छीन ली गईं, उस समय छोटे जमीदारों का मुआवजा आठ गुना मुनाफे का दिया गया और जो बहुत बड़े बड़े जमीदार थे उनको सिर्फ मुनाफे का दूना दिया गया था।

छोटे छोटे जमीं दारोंको कुछ रिहैबिलिटेशन ग्रान्ट दी गई थी। इसी प्रकार यहां पर मुआवजा शेअर-होल्डरों को देना

चाहिये बड़ों को कम छोटों को ज्यादा यहां पर यह नहीं किया जा रहा है। यहां कोई मकान नहीं लिए जा रहे हैं। कोई जायदाद नहीं ली जा रही है— सिर्फ शेयर लिए जा रहे हैं। जिस आदमी ने १९२० में एक शेयर के लिए ५०० रुपए दिए, उसके शेयर के ५०० रुपये आज भी बैंक में जमा हैं। १९२० से लेकर आज तक उसको ८० रुपये सालाना के हिसाब से छमाही बार डिविडेंड भी मिलता रहा है। जो मुनाफ़ा हो सकता था, वह उसको मिलता रहा है। लेकिन आज हम उसको उस शेयर का मुआवज़ा १७६५ रुपये १० आने दे रहे हैं। ऐसा क्यों किया जा रहा है? वे लोग १९२० से लेकर १९५५ तक सूद वगैरह ले चुके हैं—दूगने से भी ज्यादा मुआवज़ा ले चुकें हैं। मेरा तो ख्याल है कि अगर ये शेयर्ज़ बगैर पैसे के भी लिए जाते, तो भी कोई ज़्यादती न होती। जरूरत इस बात की थी कि चूंकि इम्पीरियल बैंक में उनका ५०० रुपया मौजूद है, इस लिए उसके बदले उनको सिर्फ ५०० रुपया जाता। लेकिन यहां पर उनको उस ५०० रुपये के अलावा बाज़ार में जो भाव है, उससे भी ज्यादा दिया जा रहा है। इम्पीरियल बैंक में डेढ़ लाख पार्टली-पेड-अप शेयर्ज़ हैं और ७५ हज़ार ऐसे शेयर्ज़ हैं, जो फुली पेड-अप हैं। उसमें कैपिटल की शक्ल में ५,६२,५०,००० रुपया है और ६,३५,००,००० रुपये का रिज़र्व फंड है। पर इस बिल के शेयरों का मुआवज़ा साढ़े तीन गुना रुपया दिया जा रहा है। यह क्यों दिया जा रहा है? यह कहां का इन्साफ़ है? जमा तो है ५०० रुपया और दिया जा रहा है १७६५ रुपया दस आना! ५,६२,५०,००० रुपये के बदले में १९,८६,००,००० रुपया मुआवज़ा दिया जा रहा है। समझ में नहीं आता कि यह किस तरीके का मुआवज़ा है। कुछ लोगों का कहना है कि ऐसा इस लिए कर रहे हैं कि जिस आदमी ने ५०० रुपये दे कर शेयर खरीदा है, वह उसको बेचने के लिए तैयार नहीं है और अगर वह बेचता है, तो ज्यादा दाम मांगता है। क्योंकि उसको ज्यादा डिविडेंड मिलता है, इस लिए बाज़ार में उसके शेयर के दाम भी ज्यादा मिलते हैं। बाज़ार में लोग शेअर खरीदते हैं और बेचते हैं और जिस भाव पर बाज़ार में शेअर खरीदा बेचा जाता है वह बाज़ार भाव है। आप देखिए कि जनवरी, फरवरी, मार्च और अप्रैल के दौरान क्या भाव रहा है। स्टाक एक्सचेंज बम्बई के मुताबिक, १५ अप्रैल की शाम को इम्पीरियल बैंक के फुली-पेड शेअर का भाव १५८० रुपये था। तो फिर उसके लिए १७६५ रुपये देने के क्या मानी हैं? यह भी कहा जाता है कि भाव गिर गए हैं। १९४८ में जब श्री चेट्टी ने यह ऐलान किया कि इम्पीरियल बैंक को नैशनलाइज़ किया जायगा, तब सब को मालूम हो गया कि वह नैशनलाइज़ हो जायगा—लेकिन वह नहीं हुआ। अब आ कर २० दिसम्बर, १९५४, को हमारे फाइनेंस मिनिस्टर साहब ने कहा कि हम एलान करने वाले हैं कि हम इस बैंक को ले लेंगे। उन्होंने ऐशोरेंस भी दे दिया कि मार्केट रेट पर लेंगे। परन्तु उन्होंने यह भी कहा कि भाव एक निशिचत समय का लिया जायगा, उन्होंने यह इस लिए कहा कि कहीं सट्टेबाज़ और स्पैकुलेटर्ज़ भाव न बढ़ा दें—५०० रुपये के शेअर के तीन चार हज़ार रुपये तक दाम न बढ़ा दें। जब लोगों को मालूम

[श्री आर० डी० मिश्र]

हो गया कि गवर्नमेंट शेयर्ज़ को खरीद रही है, तो उन्होंने शेअर्ज़ बेचने शुरू कर दिए। उन्होंने क्यों बेचे? जब उन्होंने मामूली आदमियों को १५३७ रुपये, १५७६ रुपये और १५८० रुपये पर शेअर्ज़ जनवरी, फरवरी, मार्च और अप्रैल, ५५ में बेचे तो अब सरकार भी उसी भाव पर खरीद सकती है जो बाज़ार भाव १५ अप्रैल, १९५५ को था इसी लिए मैं ने अपना अमेंडमेंट पेश किया है कि जिस तारीख को फाइनेंस मिनिस्टर साहब ने यह बिल पेश किया है, उस तारीख को बाज़ार खुलते समय जो रेट था, उसी रेट से मुआवज़ा दिया जाय यानी फुली-पेड-अप शेयर के लिए १५८० रुपये और पार्टली-पेड-अप शेयर के लिए ३९० रुपए दिए जायें। और अगर नार्मल वैल्यु ही लगानी है, तो जब से बैंक कायम हुआ है, तब से ही नार्मल वैल्यू लगानी चाहिए। अगर ईमानदारी से देखा जाय, तो उनको सिर्फ ५०० रुपये ही मिलने चाहिएं। में तो समझता हूं कि इसके अलावा उनको और कुछ नहीं मिलना चाहिए था। यह बात भी सम शें नहीं आती कि जिनका नाम १९ दिसम्बर को रजिस्टर्ड था, उनको मुआवज़ा दिया जायगा और बाकी को नहीं दिया जायगा। यह बात कुछ साफ़ नहीं की गई है। मेरे कहने का मतलब यह है कि इतना कम्पेन्सेशन देने के लिए आप रुपया कहां से लायेंगे? यह उन्नीस करोड़ रुपया आखिर कहां से लायेंगे? ३१ दिसम्बर को कोई बैलेंस-शीट इस बैंक की हमको नहीं दी गई, जिस से हम अन्दाज़ा लगा सकें। मैं ने १९५२ की बैलेंस-शीट देखी है। उसके मुताबिक ५,६२,५०,००० रुपए का कैपिटल है, ६,३५,००,००० रुपये का रिज़र्व-फंड है और थोड़ा सा रुपया असेटस में है। बाकी जमा पूंजी डिपाज़िटर्ज़ की है। उसका कम्पेन्सेशन क्या दिया जाये? अगर इम्पीरियल बैंक की पूंजी शेअर होल्डर्स की ही मानें तो रिज़र्व फंड ले लीजिए और असेट्स कैपिटल को ले लीजिए। टोटल कर के वह तेरह करोड़ रुपये से ज़्यादा नहीं बैठता। आप यह तेरह करोड़ रुपये की पूंजी बांट दीजिए। लेकिन आप उन्नीस करोड़ रुपये क्यों दे रहे है? मेरी समझ में नहीं आता कि आप किस तरीके से कम्पेन्सेशन दे रहे हैं। फिर कोई शेअर होल्डर्स की बड़ी भारी तादाद भी नहीं है। अभी मालूम पड़ा है कि ६१६ विदेशी शेयर-होल्डर हैं। इंडियन सेंट्रल बैंकिंग एन्क्वायरी कमेटी १९३० में मुकर्रर हुई थी। उसकी रिपोर्ट में हमने देखा कि इम्पीरियल बैंक में विदेशियों का २,८४,००,००० रुपया था और देसियों का २,७८,००,००० रुपया था। अब विदेशियों का सिर्फ ५९ लाख रुपया है। उनके शेयर्ज़ सिर्फ १०.६ फी सदी हैं। अब उनका कोई लम्बा चौड़ा हिसाब नहीं है। १०७४३ शेयर-होल्डर्ज़ में से सिर्फ ६१६ विदेशी हैं। ९७८५ देशी शेअर होल्डर हैं। जिनके पास ६१.७ प्रतिशत शेअर हैं और शेष ३४२ शेअर होल्डर ट्रस्ट और कम्पनियां हैं जिनके पास १७.७ प्रतिशत शेअर हैं। इस लिए उनके बारे में कोई कठिनाई न होगी। मैं आपके सामने यह सबमिट कर रहा हूं कि हमको इतना ज़्यादा मुनाफ़ा नहीं चाहिए—इतना ज़्यादा कम्पेन्सेश नहीं देना चाहिए जो इस बिल में रक्खा गया है। आखिर यह कम्पेन्सेशन किसी ढंग से होना चाहिए।

दूसरी बात यह है कि आज तक बैंक की तीन शाखाएं बम्बई, मद्रास और कलकत्ता में हैं। इसकी एक ब्रांच दिल्ली में ज़रूर होनी चाहिए।

तीसरी बात यह है कि हम इस बैंक को पार्टली स्टेट-ओन्ड करने जा रहे हैं और अपने देश में सोशलिस्टिक पैटर्न आफ सोसायटी कायम करने जा रहे हैं। आज तक यह आम शिकायत रही है कि मैनेजर्ज़ को बड़ी बड़ी तन्ख्वाहें दी जाती हैं। अब जब कि एक नया मैनेजिंग बोर्ड बनाया जा रहा है, हमें इस बात का ख्याल रखना चाहिए कि चेयरमैन और वाइस-चेयरमैन की तन्ख्वाहें कुछ ठीक ढंग से रखी जायें। मैं यह चाहता हूं कि इस बिल में यह लिख दिया जाय कि किसी भी हालत में बैंक के चेयरमैन को ढाई हजार से ज्यादा तन्ख्वाह न दी जाय। इस बारे में एक लिमिट बांध दी जाय। कम से कम बैंक के चेयरमैन को प्राइम मिनिस्टर और मिनिस्टरों से ज्यादा तन्ख्वाह नहीं मिलनी चाहिए। मैं चाहता हूं कि गवर्नमेंट इन बातों पर ठीक तरह से विचार कर ले और देखे कि हम किस तरीके से इस काम को कर रहे हैं। मेरा निवेदन है कि मिनिस्टर साहब और हाउस भी इस बात को सोचें कि जब हम ज़मींदारों और काश्तकारों को मामूली मकान और ज़मीन के बदले पूरा कम्पेन्सेशन नहीं दे रहे हैं और जब कि हमारे प्राइम मिनिस्टर ने भी कहा है कि जहां समाज सुधार के लिए सम्पत्ति ली जायगी वहां पूरा कम्पेन्सेशन नहीं देंगे, तो पांच करोड़ रुपये के बदले उन्नीस करोड़ रुपये क्यों दिए जा रहे हैं। पंडित जी ने कहा था कि पूरा मुआवज़ा देने से तो "हैव्ज़", "हैव्ज़", रह जायेंगे और "हैव-नॉटस", "हैव-नॉटस" रह जायेंगे—गरीब गरीब रहेंगे और मालदार मालदार रहेंगे इस तरीके से तो मालदारों के पास और भी पूंजी हो जायगी।

इन शब्दों के साथ में इस बिल का स्वागत करते हुए मिनिस्टर साहब से दरख्वास्त करता हूं कि वह इन बातों को ख्याल रखते हुए इस बिल में तरमीम कर दें।

श्री सी० आर० नरसिंहम् (कृष्णगिरि) : देश के प्रमुख राष्ट्रीय संगठन कांग्रेस द्वारा दिखायी गयी दिशा में आगे बढ़ कर सरकार ने कांग्रेस के संकल्प और आर्थिक नीति संबंधी इस सभा के संकल्प के अनुसार यह पग उठाया है। बैंकिंग देश का एक मुख्य उद्योग है और एक अत्यावश्यक सेवा भी है।

पहली पंचवर्षीय योजना की समाप्ति और दूसरी के आरंभ के समय कृषि-उत्पादन में वृद्धि का प्रश्न हमारे सामने है। नई ज़मीन से विशेष उत्पादन संभव न होने से हमें उसी ज़मीन में उत्पादन को बढ़ाना होगा। मेरे विचार से घनी खेती के लिए किसानों को अपेक्षित ऋण दिला सकने में यह विधेयक विशेष सहायक सिद्ध हो सकेगा।

एक विशेषज्ञ के अनुसार भारत में ९०,००० व्यक्तियों के लिए एक बैंक-कार्यालय है, जब कि जापान में १०,००० व्यक्तियों के लिए एक बैंक कार्यालय है। देहाती ऋण जांच समिति ने भी किसानों को ऋण देने के लिए सुझाव दिये हैं। परन्तु सरकारी संगठनों में लालफीतावाद बहुत बुरी तरह से चलता है। कुछ दिन हुये मैं खादी ग्रामोद्योग

[श्री सी० आर० नरसिंहन]

भवन से कुछ वस्तुयें लेने गया, तो विक्रेता ने बताया कि उसे वस्तुओं के दाम पता नहीं हैं और मैं कल आऊं।

उत्पादन मंत्री के सभासचिव (श्री आर० जी० दुबे) : वह स्वायत्त संस्था है।

श्री सी० आर० नरसिंहन् : परन्तु यह सरकारी निरीक्षण में है। निजी व्यापारी कुछ अनुमानित मूल्य पर वह वस्तु मुझे दे देता और मेरा पता लेने के बाद कम-अधिक रुपयों को ले लेता या वापस कर देता। पर सरकारी अनुदान पाने वाली या सरकारी संस्थाओं में इसी प्रकार लालफीतावाद का बोलबाला है। आप बहुत सी केन्द्रीय संस्थायें खोल रहे हैं, और कालेजों तक का राष्ट्रीयकरण कर रहे हैं। उनमें यह लालफीतावाद नहीं चलना चाहिये।

श्री बी० दास ने यह बात उठायी थी कि विधेयक में नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक के संविधानिक अधिकारों का भी उल्लेख होना चाहिये, जैसा कि एक उपबंध रक्षित बैंक अधिनियम में है।

श्री ए० सी० गुह : व्यापारिक बैंक के लेखापरीक्षकों का प्रतिवेदन सभापटल पर रखने पर कोई भी बैंक नहीं चल सकता। यह बैंक व्यापारिक बैंक नहीं है। उसकी लेखापरीक्षा भी मेरी समझ से महालेखापरीक्षक नहीं करते।

श्री सी० आर० नरसिंहन् : यह मेरा सुझाव है। चूंकि राशि भारत की संचित निधि से ली जायेगी, अतः लेखाओं की परीक्षा का कार्य महालेखापरीक्षक को सौंपा जाना चाहिये। कुछ माननीय सदस्यों के शब्दों में "इम्पीरियल" शब्द के कारण और आज की स्थिति के अनुकूल न होने के कारण ही इस बैंक को समाप्त कर देना चाहिये था। यह विधान देश के भले के लिये है और मैं माननीय मंत्री और सरकार के लिये पूरी सफलता की कामना करता हूं।

श्री के० पी० त्रिपाठी (दरांग) : सही दिशा में सही कदम उठाने के लिये सरकार को बधाई देते हुए मुझे यह कहना है कि इसे संपूर्ण कार्य न मानना चाहिये। देहात में एक तिहाई किसान भूमिहीन होने से खेतिहर मजदूर हैं। विधेयक के अनुसार बैंक व्यापारिक रीति से चलाया जायेगा। तदनुसार ऋणगृहीता में पात्रता होनी चाहिये पर बैंक खेती की ज़मीन की संपत्ति को ऋण के लिये पात्र नहीं मानते थे। यदि इस बैंक ने भी वही किया, तब तो बहुत से ज़मीन वाले व्यक्ति भी ऋण न ले सकेंगे। भूमिहीन तो ऋण ले ही न सकेंगे। अर्थात् इसके फलस्वरूप एक तिहाई व्यक्ति ऋण से वंचित रहेंगे। अतः मेरे विचार से यह विधेयक काफी नहीं है और स्थिति सुधारने के लिये कुछ और करना पड़ेगा।

अमरीकी अर्थ व्यवस्था में १९२९ के संकट के समय बनायी गई रूज़वेल्ट की तथाकथित 'न्यूडील' के अनुसार दो प्रकार से देहाती ऋण की व्यवस्था की गई थी—एक तो व्यापारिक बैंकों से और दूसरे राष्ट्रीय विस्तार सेवा के द्वारा सरकार से। बैंकों से ऋण न मिलने पर लोग अपनी योजना बनाकर सरकार के पास जा सकते थे और सरकार योजना की जांच कर के उसके लिये ऋण

देती थी। हमारे यहां जहां पर आधे किसान ऋण के अपात्र है, ऐसा कदम उठाया जाना अत्यन्त आवश्यक है। इस से कुछ वर्षों में पूरे देश को लिया जा सकेगा और बैंकों से ऋण न पाने वाले व्यक्ति भी ऋण पा सकेंगे।

दूसरी बात यह है कि यह बैंक सहकारी संस्थाओं को ही ऋण देगा, जो किसानों को रुपये देने के लिये इससे ऋण लेंगी। साथ ही अनाज समितियां भी इस बैंक से ऋण लेंगी और भंडारों के बेचने का प्रबन्ध करेंगी। पर ये समितियां कब बनेंगी? माननीय मंत्री ने स्वयं बताया है कि मद्रास और बंबई राज्य सहकारी संस्थाओं के संगठन में अग्रसर हो चुके हैं, पर अन्य राज्य विशेष प्रगति नहीं कर सके हैं।

भारत में सरकारी संस्थाओं की असफलता के गंभीर कारण हैं और अब वे सहसा सफल हो जायेंगी, यह मानना भूल होगी। अमरीका में एक बड़े बैंक अधिष्ठाता ने लगभग १० वर्ष तक राज्यों में सरकारी बैंकों की उपयोगिता के विषय में प्रचार किया, तब कहीं वह विधान सभाओं से उनके लिये विधान बनवा सका। इस विधान में निहित आपके मन्तव्य तब तक सफल नहीं माने जा सकते, जब तक पैसा सीधे-सीधे उन व्यक्तियों को न मिले, जिन्हें इसकी आवश्यकता है। अनाज समितियां आवश्यक हैं, क्योंकि उन के बिना सरकार मूल्यों में सहायता देने का कार्यक्रम नहीं बना सकती, जो कि अमरीका अर्थव्यवस्था का मेरुदण्ड है। सरकार ने तीन फसलों के बारे में यह कार्यक्रम स्वीकार किया है। प्रश्न यह है कि क्या राज्य सरकारें ८०० करोड़ रुपयों की वार्षिक बिक्री वाले कृषि-उत्पादनों के लिये आवश्यक ऋण सम्बन्धी सुविधायें दे सकेंगी? इसके लिये केन्द्रीय ऋण संगठन होना चाहिये। हमारे १०,००० करोड़ रुपयों के उत्पादन का आधा कृषि-खंड में होता है, अतः यह बहुत बड़ा उद्योग है। अतः यह संगठन केन्द्रीय सरकार ही बना सकती है। देहाती क्षेत्र में बिक्री पर नियंत्रण का अर्थ मूल्य पर नियंत्रण भी है, यह कन्द्र ही कर सकता है, राज्य नहीं। मूल्य सहायता कार्यक्रम में समाजवादी और पूंजीवादी दोनों ही हित रहते हैं और बिड़ला आदि पूंजीपति भी क्रय शक्ति बढ़ाने की बात कहते हैं। इसी से सभी ने इसका स्वागत किया है। फिर भी कुछ व्यक्तियों ने बैंक के इस राष्ट्रीयकरण को छः महीने के लिये स्थगित कर देने का सुझाव दिया था, पर सरकार ने दृढ़ रह करके उनकी बात नहीं मानी इसलिये वह धन्यवाद की पात्र है। लोगों को आशा है कि इससे देहाती अर्थव्यवस्था को पुनःसंगठित किया जा सकेगा। आशा है, सरकार के इस कार्य का सर्वत्र स्वागत किया जायेगा।

जैसा श्री आर० डी० मिश्र ने बताया, क्षतिपूर्ति के विषय में समाजवादी ढांचे के समाज की घोषणा के अनुकूल कार्य नहीं किया गया है। यह पहला और नमूने का मामला था, जिससे पता चलता कि सरकार कृषि खंड के अतिरिक्त अन्य क्षेत्रों में राष्ट्रीयकरण के बाद क्या क्षतिपूर्ति देना चाहती है। जमींदारी उन्मूलन के सम्बन्ध में बड़े और छोटे जमींदारों के विषय में कुछ अन्तर रखा गया था।

देश के लोगों ने उसका स्वागत किया एक बार यह सिद्धान्त स्वीकार कर लेने पर कि ज्यादा धनी लोगों की मांग पर थोड़ा प्रतिकर दिया जाय और गरीब

[श्री के० पी० त्रिपाठी]

लोगों की मांग पर अधिक प्रतिकर दिया जाय, यह कहना कहां तक उचित है कि यह सिद्धान्त वाणिज्यिक तथा औद्योगिक क्षेत्र के मामले में लागू नहीं होता। मध्यम श्रेणी के लोगों को अधिकाधिक प्रतिकर दिये जाने की बात तो कही जाती है पर इस मामले में भी यदि यही सिद्धान्त लागू किया गया होता तो मुझे कोई आपत्ति नहीं होती। अतः इस क्षेत्र में राष्ट्रीयकरण की योजनाओं को सफल बनाने लिये विवेकात्मक प्रतिकर नीति का अनुसरण करना चाहिए।

प्रबन्ध बोर्ड में श्रमिकों का प्रतिनिधित्व होना उचित है। आशा है, सरकार द्वितीय पंचवर्षीय योजना में श्रमिकों के प्रतिनिधित्व के प्रश्न पर गम्भीरतापूर्वक विचार करेगी।

सरकार को चाहिए कि विद्यमान सेवा की शर्तों को उसी प्रकार जारी रखे। जहां तक इस बहुत खर्चीले प्रबन्धक बोर्ड को तोड़ने का प्रश्न है, लोग इस बात का स्वागत करेंगे। कुछ विशेष उद्योगों में काम करने वाले व्यक्तियों की सेवा सम्बन्धी वर्तमान शर्तों को स्थायी बनाया जाय और यदि उनमें कोई भी संशोधन किया जाय तो वह संशोधन कर्मचारियों के पक्ष में होना चाहिए विपक्ष में नहीं।

श्री तुलसीदास (मेहसाना पश्चिम): माननीय मंत्री न इम्पीरियल बैंक के राष्ट्रीयकरण की बात कही। अधिकांश सदस्यों ने इसका समर्थन किया है। मैं भी इसका समर्थन करूंगा क्योंकि बैंक के राष्ट्रीयकरण से ग्रामीण ऋणों की भी सभी समस्यायें हल हो जायेंगी।

सभा को विदित है कि इम्पीरियल बैंक का काम मुख्यतः एक वाणिज्यिक बैंक का है, अतः मैं नहीं समझता कि राष्ट्रीयकरण के बाद वह कैसे एक ग्रामीण ऋण हितकारी संस्था के रूप में काम करेगा। मैं माननीय मंत्री से एक बात और कहना चाहता हूं कि यदि यह बैंक भी राष्ट्रीयकरण के बाद सहकारी बैंक संस्था के महाजन के रूप में काम करेगा तो रिज़र्व बैंक ने राष्ट्रीयकरण के बाद अभी तक यह काम क्यों नहीं किया जब कि देश के प्रत्येक व्यक्ति ने इसकी मांग की। मैं नहीं समझता कि कैसे यह बैंक वांछित ढंग से काम करेगा।

जब मैंने इस विधेयक को पढ़ा तो हमें पता चला कि यह बैंक सहकारी ऋण बैंकों के महाजनों के रूप में ही काम करेगा; इसके अतिरिक्त उसका संविधान इतना अपरिवर्तनशील है कि यह उसी प्रकार काम करेगा जैसे आज रिज़र्व बैंक काम करता है अर्थात् यंत्रालय के एक विभाग की भांति। ग्रामीण ऋण सर्वेक्षण का ही उदाहरण लीजिए। इस समिति ने अपना तिवेदन रिज़र्व बैंक को नहीं, बल्कि सीधे भारत सरकार को भेजा और रिज़र्व बैंक को उसकी सिफारिशों और निश्चयों के बारे में भी कुछ पता नहीं है। स्पष्ट है कि रिज़र्व बैंक वित्त मंत्रालय का एक विभाग ही है।

मैं सकझता हूं कि यह बैंक भी उसी ढंग से काम करेगा। सभापति और उपसभापति नियुक्त करने का अधिकार भारत सरकार को है, पर ग्रामीण ऋण सर्वेक्षण समिति ने कहा है कि सभापति स्वतंत्र होना चाहिए। २० में से १९ निदेशकों का नाम-निर्देशन भारत सरकार करेगी: अर्थात् १४ निदेशक भारत सरकार के आदमी होंगे।

हमारी इच्छा है कि यह संस्थायें, ग्रामीण ऋण प्रणाली का सुधार करें या उनका विश्वास करें, पर हमें यह देखना है कि इसका काम कैसे चलाया जायेगा। हम देख चुके हैं कि हमारे देश में औद्योगिक वित्त निगम और राज्य वित्त निगम की कार्यपद्धति क्या है।

इस संस्था को परिवर्तन शील ढंग से काम करना होगा। पर संविधान ऐसा है कि परिवर्तनशीलता का ढंग आ ही नहीं सकता। इस संस्था को भी वित्त मंत्रालय की नीति का अनुसरण करना होगा, परिणामस्वरूप इस संस्था के वाणिज्यिक कार्य को हानि होगी। २२० करोड़ रुपयों के निक्षेपों में से १२० करोड़ रुपये प्रतिवर्ष विभिन्न वाणिज्य तथा उद्योग संस्थाओं को उधार दिये जाते हैं। मैं समझता हूं कि अब यह काम भी नहीं हो पायेगा। अतः विकास करने के बजाय हमें भय है कि हम कहीं कुछ खो न बैठें क्योंकि बोर्ड में अधिकतर सरकार के नाम निर्देशित व्यक्ति होंगे अतः संस्था में कुछ अपरिवर्तनशीलता आ ही जायेगी।

श्री के० पी० त्रिपाठी ने बताया कि ग्रामीण ऋण देने वाली संस्थायें वाणिज्यिक संस्थाओं से पृथक होनी चाहिए। इम्पीरियल बैंक के कर्मचारियों को वाणिज्यिक ऋण-प्रणाली का ही ज्ञान है, ग्रामीण-ऋण प्रणाली का नहीं। अतः वह ग्रामीण-ऋण के कार्य को कुशलता पूर्वक नहीं कर सकते। फिर वाणिज्यिक ऋण देने और ग्रामीण ऋण देने की कसौटी में भी बहुत अन्तर है। इस प्रकार हमें आशंका है कि यह संस्था उस ढंग से काम नहीं कर पायेगी जैसा कि हम चाहते हैं।

बोर्ड के संविधान के सम्बन्ध में, सभापति, उपसभापति और अधिकांश सदस्यों की नियुक्ति सरकार स्वयं करेगी। मैं चाहता था कि सभापति के चुनाव का प्रश्न बोर्ड के विवेक पर छोड़ दिया जाता और उस पर सरकार की स्वीकृति ली जाती। यह सभापति पूरे समय काम करने वाला पदाधिकारी भी नहीं होगा और उसे वेतन के रूप में कुछ राशि मिलेगी। इसी प्रकार जब रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण हो रहा था तो यह इरादा था कि तीन गवर्नरों में से एक गवर्नर और दो उपगवर्नर गैरसरकारी व्यक्ति होंगे। पर आज स्थिति यह है कि सभी गवर्नर सरकारी व्यक्ति हैं। इन्हें ग्रामीण ऋण के कार्य का ठीक ज्ञान नहीं है। यही हाल भारत के राज्य बैंक का होने वाला है। अतः मैं चाहता हूं कि सभापति और उपसभापति के चुनाव का मामला बोर्ड पर छोड़ दिया जाय, बाद में सरकार की स्वीकृति भी अनिवार्यतः ले ली जाये।

प्रतिकर के संबन्ध में मैं यह कहना चाहता हूं कि यह मामला अन्य मामलों से भिन्न है यह किसी औद्योगिक संस्था का मामला नहीं है। जमींदारी उन्मुलन करते समय हमने जमींदारों को कुछ प्रतिकर दिया था। उसी प्रकार अंशधारियों को भी प्रतिकर मिलना चाहिए। प्रतिकर की यह दर भी प्रर्याप्त नहीं है। अतः अधिक प्रतिकर देना चाहिये।

सभापति महोदय: श्री टी० एस० ए० चेट्टियार

पंडित डी० एन० तिवारी (सारन दक्षिण) : मैं एक औचित्य प्रश्न की बात कहता हूं। आज प्रातः काल हमें एक परिपत्र मिला जिसमें कहा गया था कि किसी भी व्यक्ति को बोलने की अनुमति नहीं दी जायेगी, चाहे उसने दल सचेतक के द्वारा चिट भेज दी हो। बोलने की अनुमति उसे ही दी जायेगी

[पंडित डी० एन० तिवारी]

जिसे अध्यक्ष महोदय बोलने के लिये खड़ा होता हुआ देखेंगे। क्या उस नियम का पालन किया जा रहा है या नहीं।

सभापति महोदय: बुलेटिन (समाचार) में कहा गया था कि बोलने के इच्छुक सदस्य तीन में से कोई उपाय अपना सकते हैं: वह स्वयं या दल सचेतक के द्वारा चिट भेज सकते हैं या स्वयं खड़े होकर अध्यक्ष महोदय का ध्यान आकर्षित कर सकते हैं। वाद-विवाद के संबंध में हमें ध्यान रखना है कि सभी व्यक्तियों को बोलने का अवसर दिया जाना चाहिये

श्री टी० एस० ए० चेट्टियार: यह विधेयक बहुत महत्वपूर्ण है और मैं नहीं जानता कि क्यों इसे प्रवर समिति को सौंपे बिना ही सभा में पेश कर दिया गया।

राष्ट्रीय विस्तार सेवा एक आदर्श यह भी है कि हमारे देश का कृषि संबंधी उत्पादन, कच्चा सामान और खाद्य उत्पादन थोड़े ही समय में दो गुना हो जाय। इसके लिये सर्वप्रथम और सर्वश्रेष्ठ कार्य यह है कि हम ऋण देने की व्यवस्था करें, ताकि किसान उत्पादन बढ़ाने के लिये उर्वटकों तथा अन्य आवश्यक चीजों पर धन लगा सकें।

जैसा कि मैं एक अन्य अवसर पर कह चुका हूं, राज्यों में भूमि सुधार बड़े पैमाने पर हो रहे हैं तथा यथाशाच्ये यह प्रयत्न किया जा रहा है कि इस कार्य में विलम्ब न हो; तथापि हमारा यह अनुभव है कि केवल हरिजनों को बड़े पैमाने पर भूमि देने से ही कोई लाभ न होगा; जब तक कि उनके पास वहां लगाने के लिए पूंजी न हो इसलिये अधिक उत्पादन और भूमी सुधारों को आगे बढ़ाने के लिये भी हमें ग्रामीण ऋण देना चाहिये। अखिल भारतीय ग्रामीण ऋण सर्वेक्षण से यह ज्ञात हुआ है कि सरकार तथा सहकारी सभायें ऋण का क्रमश: ३.३ तथा ३.१ प्रतिशत देती हैं। अवशेष ९३ प्रतिशत ऋण जमींदारों, महाजनों, बनियों तथा कमीशन एजेन्टों के द्वारा दिया जाता है। वे उस पर १० प्रतिशत तक व्याज वसूल करते हैं। इस लिये आवश्यकता इस बात की है कि देश को अधिक मात्रा में ग्रामीण ऋण दिया जाय।

जहां तक विधेयक का मुख्य प्रयोजन ऋण उपलब्ध कराते हैं, मैं इसका स्वागत करता हूं। इम्पीरियल बैंक को ले लेने के लिये तथा उसकी ४०० शाखायें खोलने पर, देश भर में ग्रामीण ऋण सुलभ हो जायेगा। हम जानते हैं कि उस उद्देश्य में सहकारी सभायें भी असफल रही हैं। यद्यपि मद्रास तथा बम्बई में इनका कार्य संतोषजनक समझा जाता है तथापि मैं मद्रास में, सकाहरी सभाओं के कार्य से सन्तुष्ट नहीं हूं।

मेरे विचार से सहकारी सभाओं के कार्यों में दो त्रुटियां रही हैं। पहली मानवीय त्रुटि तथा दूसरी सामग्री की कमी। दसरी कमी से मेरा तात्पर्य सहकारी सभाओं के लिये आवश्यक धन का उपलब्ध न हो सकना है।

मानवीय कमी से मेरा अभिप्राय ऐसे सच्चे तथा ईमानदार व्यक्तियों के अभाव से है जिनका होना ऐसी संस्थाओं की सफलता के लिये अनिवार्य है। ग्रामीणों के लाभ के लिये ऋण की उपयुक्त व्यवस्था तीन तरीकों से की जा सकती

है। प्रथम, विभिन्न स्थितियों में राज्य की साझेदारी से ऋण तथा अन्य आर्थिक कार्यों में समन्वय तथा ऐसे व्यक्तियों द्वारा प्रशासन जो कि ग्रामीणों की आवश्यकताओं के प्रति पूर्णरूप से जागरूक रहें।

इन सहकारी सभाओं ने अपने को ऋण देने तक ही सीमित रखा है। किन्तु वस्तुतः उन्हें कृषकों तथा श्रमिकों की समस्त आर्थिक कार्यवाहियों से सम्पर्क रखना चाहिये। उनके कार्यों के अन्तर्गत सिंचाई, बीज तथा खाद की व्यवस्था, परिवहन, मत्स्यपालन, दूध संभरण, दूध इत्यादि के पदार्थों का उत्पादन इत्यादि सभी कार्य आ जाने चाहिये। उक्त कार्यों को ले लेने के लिये अधिक धन की आवश्यकता होगी। इम्पीरियल बैंक के राष्ट्रीयकरण के आन्दोलन से आवश्यक ऋण प्राप्त हो सकेगा।

अब में विधेयक के उपबन्धों पर आता हूं। क्या वित्त मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि ग्रामीण ऋण में राज्य किस प्रकार भागीदार हो सकते हैं। क्या राज्य सरकार शिखर बैंकों में भाग लेगी अथवा शिखर बैंक जिला बैंकों में भाग लेंगे ? विधेयक में कोई ऐसी व्यवस्था नहीं दिखाई देती, जिससे कि यह बात सम्भव हो सके। क्या यह इनके लिये अग्रेतर विधान बनायेंगे।

खंड ११ में कहा गया है कि कोई भी व्यक्ति पूंजी का पांच प्रतिशत से अधिक अंश रखने पर अंशधारी नहीं कहा जायेगा। एक व्यक्ति को एक करोड़ से अधिक अंश लेने की अनुमति देने से भला राज्य का क्या भला होगा

सभापति महोदय : मेरे विचार से यह निर्गमित पंजी का पांच प्रतिशत है।

श्री टी० एस० ए० चेट्टियार : अंशधारियों के लिये ४५ प्रतिशत बचता है। अर्थात ९ व्यक्ति सभी अंश ले सकते हैं। क्या एक व्यक्ति को इतने अंश लेने की अनुमति देना राष्ट्र हित के अनुकूल होगा ?

खंड १६ (५) में कहा गया है कि उपखंड ३ में निर्देशित शाखाओं के अलावा राज्य बैंक की कम-से-कम ४०० शाखायें खुलेंगी। मेरा अभिप्राय यह है कि शाखाओं का खुलना परिस्थिति की आवश्यकता पर निर्भर रहना चाहिये कदाचित् ४०० से अधिक शाखायें खोलनी पड़ेंगी।

खंड १८ (१) नें यह कहा गया है कि सार्वजनिक हित की नीति इत्यादि के मामले में राज्य बैंक, केन्द्रीय सरकार द्वारा, रक्षित बैंक के गवर्नर तथा राज्य बैंक के अध्यक्ष से परामर्श के उपरान्त दिये गये निर्देशों के अनुसार कार्य करेगा।

सार्वजनिक हित की कोई व्याख्या नहीं की गई है ग्रामीण ऋण सर्वेक्षण समिति के सुझाओं के अनुसार बैंक का वाणिज्यिक प्रणाली से चलना चाहिये तथा सरकार को उसके कार्यों में न्यूनतम हस्ताक्षेप करना चाहिये। मैं सभा को यह सुझाव दूंगा कि वह ऐसी सीमा निर्धारित करे कि कहां तक सरकार बैंक के कार्यों में हस्तक्षेप कर सकती है ; अन्यथा अनुचित हस्तक्षेप होने से बैंक को स्थापित करने का उद्देश्य ही खटाई में पड़ जायेगा।

[श्री टी० एस० ए० चेट्टियार]

खंड ३२ और ३३ में यह उल्लेख किया गया है कि बैंक को क्या करना चाहिये; उसमें कहीं भी ऐसा उपबन्ध नहीं है जिससे कम्पनी अथवा सहकारी संस्था में अंश ले सकने की व्यवस्था की गई है। चाहे इसका यह अभिप्राय है कि राज्य बैंक शिखर बैंक में अंश लेगा तो उसे भी इस खंड में सम्मिलित करना चाहिये।

श्री ए० सी० गुह : मैंने कहा था कि राज्य सरकारें अंश लेंगी। मैंने यह नहीं कहा कि राज्य बैंक अंश लेगा।

श्री टी० एस० ए० चेट्टियार : मैं तो यही समझा हूं कि उन्होंने कहा है कि राज्य बैंक अंश लेगा। इस प्रकार वह शिखर बैंकों का भागीदार बनेगा। यदि उक्त बात सत्य है तो इसे भी खंड ३२ और ३३ में स्थान दिया जाय।

पहिली अनुसूची में अंशो के हस्तांतरित होने पर प्रतिकर देने की व्यवस्था है। यह प्रतिकर पिछले बारह महीनों में अंशों की औसत बाजार दर पर दिया जा रहा है। इस प्रकार हम बाजार दर से प्रतिकर दे रहे हैं।

हम देखते हैं कि जब कभी वाणिज्यिक मामला अन्तर्ग्रस्त होता है तो उस पर अपेक्षाकृत उदार विचार होता है। लगभग सभी सरकारों में इन लोगों का प्रभाव होता है। यदि आप अधिगृहीत सम्पत्ति की विभिन्न मदों का पृथक रूप से मूल्यांकन करने लगेंगे तो यह न्यायोचित नहीं होगा। ऐसा करना बहुत बुरा है। यदि आप राष्ट्रीयकरण करना चाहते हैं तो आप एक निर्धारित माप दंड के अनुसार प्रतिकर दीजिये। यदि वह बाजार दर पर प्रतिकर देना चाहते हैं तो भविष्य के लिये भी यह एक पूर्व वादिता होगी। अन्यथा लोगों के हृदय पर इसका अनुचित प्रभाव पड़ेगा कि वर्ग-भेद से सरकार भी भेद भाव पूर्ण व्यवहार करती है। हम ऐसी बात की प्रशंसा नहीं कर सकते हैं।

मैं आशा करता हूं कि विधेयक के सम्बन्ध में जितने भी लाभकारी तथा प्रभावोत्पादक संशोधन रखे गये हैं, वह स्वीकार कर लिये जायेंगे।

श्री मात्तन : मैं इस विधेयक का हार्दिक स्वागत करता हूं। वास्तव में इस बैंक का नाम ही असामयिक तथा पुराना हो गया था। प्रारम्भ से ही बैंक ने राष्ट्र विरोधी हितों को तरह दी तथा अपने नाम के अनुरूप ही पूरी तरह तत्कालीन सरकार की सरपरस्ती में रहा। मेरा अपना बैंक किसी समय भारत में तीसरे नम्बर पर था, किन्तु जब बैंक उड़ाये जाने लगे तो मुझे ८½ वर्ष का कठोर करावास दे दिया गया। कुछ भी हो, सार्वजनिक हित के लिये इस बैंक का राष्ट्रीयकरण होने में मुझे कोई आपत्ति नहीं। माननीय वित्त मंत्री सहकारी बैंकिंग पद्धति तथा औद्योगिक और कृषि ऋण की व्यवस्था करने के लिये जो कुछ भी कर रहे हैं मैं उसका हार्दिक समर्थन करता हूं।

यह विधेयक तथा भारत रक्षित बैंक (संशोधन) विधेयक अखिल भारतीय ग्रामीण ऋण सर्वेक्षण समिति के प्रतिवेदन पर आधारित हैं। यह प्रतिवेदन तीन भागों में हैं। जिसमें से मुझे केवल एक भाग ही पुस्तकालय में उपलब्ध हो सका। मेरे एक अन्य मित्र से कह दिया गया कि यह प्रतिवेदन गोपनीय है। मैं नहीं जानता कि विधेयक को प्रस्तुत करने में वित्त मंत्री ने इतनी शीघ्रता क्यों की।

दो चार दिन का विलम्ब हो जाने पर, कोई अन्धेर नहीं मच जाती। वास्तव में मुझे ऐसी बातों पर अत्यधिक दुख होता है। में यही कह सकता हूं कि ऐसी बातें फिर से नहीं होनी चाहियें। मेरे एक माननीय मित्र ने विधेयक को प्रवर समिति को सौंपने की सलाह दी थी। मने एक ऐसी समय-सारिणी बनाकर दी थी जिस से कि प्रवर समिति भी तीन चार रोज में अपना कार्य समाप्त कर लेती, और सत्र की समाप्ति के पूर्व ही यह विधेयक सभा में ले लिया जाता, किन्तु कौन सुनता है। जो उनकी इच्छा होगी वही होगा हमारे देश में प्रजातंत्रात्मक सरकार है, एक ऐसा विधेयक जो कि सार्वजनिक हितों से इतना घनिष्ट सम्बन्ध रखता है, उसको परित करने में इस प्रकार शीघ्रता करना अनुचित है।

मुझे इससे यह अनुभव हुआ है कि इस बात से सभा अथवा कांग्रेस के यश में अभिवृद्धि नहीं होगी क्यों कि जनता को यही लगेगा कि सरकार जो चाहती है, पारित करा सकती है।

मेरे माननीय मित्र तुलसीदास ने कहा है कि, यदि यह बैंक सहकारी संस्थाओं, सहकारी बैंकों तथा ग्रामीण ऋण की सुविधाओं के पुनरुद्धार के लिये खोला जा रहा है तो इसकी बागडोर ऐसे लोगों के हाथों में होनी चाहिये जो कि उत्तम प्रकार की बैंकिंग इत्यादि के सम्बन्ध में कुछ जानते हों। इम्पीरियल बैंक अंग्रेजी बैंकों की प्रणाली पर स्थापित किया गया था। यह प्रणाली अमेरिका तथा जर्मनी की बैंकिग प्रणाली से भी भिन्न थी। इस लिये उन्होंने ऋण के लिये प्रतिभूति इत्यादि के सिद्धांत रखे जो कि भारत जैसे अप्रेविकसित देश के लिये नितांत अनुपयुक्त है। भला कितने लोग इतनी प्रतिभूति दे सकते हैं जितनी कि इम्पीरियल बैंक मांगता है। मेरे विचार से भारत-जैसे देश के लिये अंग्रेजी रूढ़िवादी बैंकिंग-पद्धति नितांत अनुपयुक्त है।

मेरे माननीय मित्र श्री तुलसीदास को यह आशंका है कि कहीं राज्य बैंक, वित्त मंत्रालय का एक विभाग मात्र बन कर न रह जाय। भारत रक्षित बैंक भारत सरकार का बैंक है, जिसका अभिकर्ता इम्पीरियल बैंक है। भारत रक्षित बैंक के वरिष्ट अधिकारी-गण, आम किताबी बैंक जानते हैं और वह भी अंग्रेजी बैंकिग-प्रणाली से। मेरा सुझाव यह है कि राज्य बैंक में दो विभाग होने चाहिये: एक सहकारी और ग्रामीण ऋण विभाग तथा दूसरा उद्योग तथा वाणिज्य बैंकिंग विभाग दोनों की पूंजी एक ही रहनी चाहिय, किन्तु ये दोनों विभाग दो प्रकार के कर्मचारियों के द्वारा संचालित होने चाहियें यदि वर्तमान सर्वोतम वेतन पाने वाले वरिष्ट अधिकारी सहकारी तथा ग्रामीण ऋण के प्रभारी बनाये जायेंगे तो कार्य समुचित रीति से नहीं चल सकेगा और, वस्तुतः जब कि कई वर्षों तक अधिकांश ग्रामीण शाखायें घाटे पर चलेंगी तो इतना ऊंचा वेतन पाने वाले कर्मचारियों को रखना भी ठीक न होगा। मेरे विचार से दोनों विभागों के कर्मचारियों का वेतन भी भिन्न होना चाहिए।

मुझे वर्तमान व्यवस्था से प्रबन्धक निदशकों तथा उप-प्रबन्धक निर्देशकों को हटा देन का कोई दुःख नहीं है। वस्तुतः वर्तमान अर्थ-व्यवस्था में इन मोटे वेतन-भोगियों का कोई स्थान नहीं है। अन्य बैंकों में भी अत्यधिक ऊंचा वेतन पाने वाले प्रमख कार्यकारी हैं। इन लोगों के लिये

[श्री मात्तन]

तो व्यय किया जाता है वह वास्तव में समझ तथा युक्ति से बाहर की बात है सरकार को वेतन घटाते समय इन लोगों को ध्यान में रखना चाहिये ।

मैंने इम्पीरियल बैंक के अध्यक्ष के भाषण को पढ़ा है । उन्होंने अपने भाषण में बड़ा संयम बरता है । मैं उनसे केवल एक बात में सहमत हूं जो इस प्रकार है कि राष्ट्रीयकारण होने के कारण हमारे भारतीय कर्मचारियों को कोई हानि नहीं होनी चाहिये । उनके वर्तमान वेतन तथा भत्तों के अधिकार का आदर किया जाना चाहिये ।

प्रतिकर देने के सम्बन्ध में यद्यपि मैं श्री एच० एन० मुकर्जी के सुझाव से सहमत नहीं हूं कि प्रतिकर अंशों की खरीद की दर से दिये जांय, तथापि अधिकांश अंशधारी उच्च पूंजीपति वर्ग के हैं, इसलिये प्रतिकर देने में उदारता बरतना ठीक नहीं होगा ।

जहां तक अचल सम्पति का सम्बन्ध है, जहां भूमि का अभाव है वहां यह उत्कृष्ट श्रेणी की प्रतिभूति है । महाजनी या सहकारी महाजनी व्यापार में किसी पक्ष की ऋण लेने की क्षमता और उसका चरित्र अधिक महत्वपूर्ण आस्तियां हैं और कार्यपालिका में इसका उचित अनुमान लगाने की क्षमता व विशेषता होनी चाहिए, तथा ऋण बाद में देना चाहिए । अतः हमें अचल सम्पत्ति का ध्यान रखना है । दो वर्ष पूर्व में डेनमार्क गया था । वहा सहकारिता आन्दोलन में लाभ की अपेक्षा सेवा का आदर्श अधिक महत्वपूर्ण है । परन्तु मुझे खेद है कि हमारे देश में इस बात को वह महत्व नहीं मिल रहा है । यदि हम ग्राम उद्धार का विवरण करना चाहते हैं तो उसका होना अति आवश्यक है ।

श्री एन० राचय्या (मैसूर-रक्षित अनुसूचित जातियां) : यह विधेयक ग्रामीणजनों, विशेष कर कृषकों तथा भूमिहीन लोगों की सहायता करना चाहता है, अतः मैं इसका समर्थन करता हूं । रिज़र्व बैंक आफ इंडिया द्वारा नियुक्त की गई निदेशन समिति की एक सिफ़ारिश के अनुसार ग्राम उद्धार समस्या का समन्वित समाधान यह है कि भारत का राज्य बैंक स्थापित किया जाय जिसकी शाखायें सारे देश में फैली हों जिस से बैंकिंग का विकास हो और ग्रामीणजनों को सहकारी व अन्य बैंकों के द्वारा अधिक सुविधाय प्राप्त हों । इसके साथ ही मेरा ख्याल है कि इस विधेयक का पारित होना, देश में समाजवादी ढंग के समाज की स्थापना करने की सरकार की प्रथम कार्यवाही होगी । आजकल कृषकों और मजदूरों, विशेषकर भूमिहीन कृषकों की उपेक्षा की जाती है । अतः हमारी मूल आवश्यकता यह है कि ग्रामीण कृषकों को ऋण की सुविधायें दी जायें और उद्दश्य भी प्राप्ति के लिए, मेरा ख्याल है, बैंक को कृषकों को तीन वर्गों में विभक्त करना चाहिए, अर्थात् जमींदार, थोड़ी भूमि वाले कृषक और भूमिहीन मजदूर । अतः यह अति आवश्यक है कि राज्य बैंक देश के अत्यधिक हित में कार्य करे । इस के अतिरिक्त मेरा ख्याल है कि ऋण की सुविधायें देने में जमींदारों से थोड़ी भूमि वाले कृषकों की अपेक्षा आधिक ब्याज लिया जाना चाहिये । भूमिहीन कृषि मजदूरों से जिन्हें भूमिसुधार में भूमि मिलती है, यदि कुछ

लें तो कोई ब्याज नहीं लिया जाना चाहिए। फिर मेरा ख्याल है कि भूमि समस्या का समाधान किये बिना देश में समाजवादी ढंग के समाज की स्थापना नहीं हो सकती। देश में भूमि सुधार करते समय कुछ लोग कहते हैं "यदि हम भूमि सुधार करते हैं और भूमि जोतने वालों को भूमि दे देते हैं, तो उनके लिए धन और यन्त्र आदि कहां से आयेंगे।" अतः, इस विधेयक के पारित होने से और परिणामतः भारत के राज्य बैंक की स्थापना होने से भूमिहीन लोगों की आवश्यकतायें पूर्ण होंगी, और इसके लिए यह ठीक समय भी है।

इसके पूर्व कि हम उत्तम प्रकार के रहन-सहन पर विचार करें, बहुत से लोगों के लिए कोई रहन-सहन नहीं है यह केवल शिक्षित व्यक्तियों में बेकारी का प्रश्न नहीं है अपितु अशिक्षित लोगों में गांवों के अधिकतर लोग जो कृषि पर निर्भर करते हैं वर्ष में कम-से-कम आठ मास बेकार रहते हैं। इन लोगों के लिए कोई रहन-सहन नहीं है अतः भूमि सुधार होना चाहिए और इसके द्वारा भूमि पाने वाले व्यक्तियों को बैंक से ऋण सुविधायें प्राप्त होनी चाहिए। परन्तु जब उन्हें भूमि प्राप्त हो, इस बैंक को सरकार द्वारा दिये गये धन का कम-से-कम २० प्रतिशत अनुसूचित जाति के लोगों के लिए रक्षित कर देना चाहिए। इसके साथ ही इन बातों को लोकप्रिय बनाने के लिए, कोई तालुका, जिला, या राज्य की कोई समिति होनी चाहिये।

[श्रीमती सुषमा सेन पीठासीन हुई]

किसी भी देश के जीवन में सहकारिता आन्दोलन का बड़ा महत्त्व होता है और मेरे विचारानुसार सहकारिता आन्दोलन की सफलता के बिना हमारे देश में समाजवादी नौका समाज स्थापित नहीं हो सकता। अतः सहकारिता आन्दोलन को अधिक प्रोत्साहन दिया जाना चाहिये। इसके साथ यह भी स्मरण रखना चाहिए कि कुछ प्रतिशत नियुक्तियां अनुसूचित जाति वालों के लिए रक्षित हैं। सरकार को चाहिये कि वे नियुक्ति करते समय यह देखे कि २० प्रतिशत नियुक्तियां अनुसूचित जाति वालों की होवें। सहकारिता आन्दोलन या बैंक आन्दोलन तभी सफल हो सकता है जबकि उसके कर्मचारियों को जनसाधारण पर विश्वास हो और इस प्रकार जनसाधारण बैंकों और उनके कर्मचारियों में विश्वास रखें। अतः इन बैंकों के लिए सरकार को ऐसे लोग नियुक्त करने चाहियें जो सत्यवादी, सहानुभूति दिखाने वाले और सत्य-शील हों। जो लोग ऐसे बैंकों की असफलता के उत्तरदायी सिद्ध हों उनके प्रति कड़ा बर्ताव किया जाना चाहिए और सरसरी तौर से उन्हें नौकरी से हटा देना चाहिए या उन पर अभियोग चलाया जाना चाहिए।

जहां तक उद्योग क्षेत्र का सम्बन्ध है, विधेयक में कुटीर उद्योगों और छोटे छोटे उद्योगों को भी ऋण सुविधायें प्रदान करने का उल्लेख है। उद्योगों को भी सरलतापूर्ण ऋण-सुविधायें प्राप्त होनी चाहिएं।

श्री एस० सी० सामन्त (तामलुक): मैं इस विधेयक का पूर्ण समर्थन करता हूं मेरे माननीय मित्र, श्री तुलसीदास ने कहा था कि इम्पीरियल बैंक का उद्देश्य ग्रामों में उधार की व्यवस्था करना नहीं था। यह गलत बात है। सरकार ने निश्चय किया है कि प्रत्येक अंश के लिए १७६२ रुपये दिये जायेंगे। मैं नहीं जानता कि इसका आधार क्या है? हाल ही में हमने

[श्री एस० सी० सामन्त]

जमींदारी उन्मूलन किया है और एक किसी निश्चित सिद्धान्तानुसार क्षतिपूर्ति की है । बैंकों के राष्ट्रीयकरण में भी हम उसी सिद्धान्त को क्यों न अपनायें ? इस बैंक के राष्ट्रीयकरण हो जाने से ग्रामीण जनता को सहायता मिलेगी, विशेषकर कृषकों को । समाजवादी ढंग के समाज की स्थापना के लिए, हमें आधार बनाना चाहिये और उसके लिए धन की आवश्यकता है शंकराचार्य ने कहा है "अर्थमनर्थम् भावय नित्यम्" । परन्तु समाज में रहने के लिए व्यक्ति को धन की आवश्यकता है, और उस धन से समाज का स्तर ऊंचा उठेगा । अब हम उन लोगों को धन देने की व्यवस्था कर रहे हैं जिन्हें उसकी आवश्यकता है क्योंकि हम जानते हैं "बुभुक्षितः किं न करोति पापम्"

सरकार को केवल इस बैंक द्वारा केवल कृषि ऋण संस्थाओं को ही सहायता देने का विचार नहीं करना चाहिए अपितु उन्हें उत्तम प्रकार की देख भाल की भी व्यवस्था करनी चाहिये । इसके पूर्व कि हम बैंकों का राष्ट्रीयकरण करें हमें अपना राष्ट्रीयकरण करना चाहिये । इन बैंकों और ऋण संस्थाओं का यह उद्देश्य होना चाहिये कि वे कृषकों आदि को केवल ऋण ही न दें अपितु समस्या के प्रति मानवीय दृष्टिकोण रखें। गावों में, शिखर पर और मध्य में, सहकारी संस्थायें बनाई जायेंगी । फसल-ऋण और मध्यकालीन-ऋण दिये जायेंगे । परन्तु इसमें एक कठिनाई यह है कि सहकारी संस्था का सदस्य बनने के लिए कुछ धन देना पड़ता है और बहुत से लोग ऐसे हैं जो धन नहीं दे सकते अतः ऐसे मामलों में अंश क्रम के रूप में हों और थोड़ी राशि के हों । यदि ऐसा हो जाय तो बहुत अच्छा होगा । यदि इन ऋण देने के संस्थाओं से ग्रामीणों को धन प्राप्त हो तो कुटीर उद्योगों, हस्तशिल्पों और छोटे छोटे उद्योगों का विकास हो सकेगा ।

श्री शेषगिरी राव (नंदयाल) : मैं इस विधेयक का समर्थन करता हूं, केवल इस दृष्टि से नहीं कि यह एक सामयिक और आवश्यक विधान है, अपितु इस दृष्टि से कि यह संस्थात्मक ऋण प्रणाली के पुनर्संगठन की ओर की जाने वाली प्रगति का द्योतक है । भारत की ७० प्रतिशत जनसंख्या कृषकों की है । अतः कृषक का अर्थ है कृषिकरने वाला और इस शब्द के अर्थ में छोटे बड़े जमींदारों के अतिरिक्त गांव के कारीगर और कृषि मजदूर भी सम्मिलित हैं । यदि इस विधेयक का उद्देश्य केवल राज्य बैंक स्थापित करना है और उस उद्देश्य की पूर्ति करना नहीं है जिसके लिए यह प्रस्तुत किया गया है तो मैं समझता हूं कि हम अपने कर्तव्य का पालन उचित रूप से नहीं करेंगे । मैं जानना चाहता हूं कि राज्य बैंक में यह कार्यात्मक गारन्टी है या नहीं ? यदि यह राज्य बैंक भी प्राचीन काम की तानाशाही का ही एक प्रतिरूप बनने जा रहा है तो निश्चय ही किसी भी उद्देश्य की प्राप्ति न होगी। इसके अतिरिक्त इस बात का भी ध्यान रखना है कि बीच के लोग ही ऋण की इस धनराशि को हड़प न कर जायें, क्योंकि पिछले दिनों में कुआं बनाने के लिए ऋण क्या गया था और वह धन कृषक तक नहीं पहुंचा । अतः मैं जानना चाहता हूं कि क्या कृषकों की सुरक्षा की देखभाल के लिए पर्याप्त कर्मचारी हैं या नहीं ? मैं जानना चाहता हूं कि क्या वित्त, मंत्री के पास प्रशिक्षित कर्मचारी हैं या वह बैंक स्थापित करने के पश्चात् कर्मचारियों को प्रशिक्षण देना चाहते हैं ?

श्री ए० सी० गुह : हम कर्मचारियों के प्रशिक्षण का प्रबन्ध कर रहे हैं। हमारे पास पहले से ही एक प्रशिक्षण केन्द्र है और अब अन्य केन्द्र खोले जा रहे हैं।

श्री शेषगिरी राव : मैं माननीय मंत्री से यह जानना चाहता हूं कि क्या प्रशिक्षण विद्यमान प्रणाली के अनुकूल है अथवा इसका उद्देश्य लोगों को वास्तविक सहायता देना और उन आवश्यकताओं को पूर्ण करना है जिनके लिए राज्य बैंक स्थापित किया जा रहा है। माननीय मंत्री से मेरा यह भी निवेदन है कि केवल व्यक्तियों को ही पृथक पृथक्, ऋण न दिया जाये, अपितु उनके वर्ग को भी ऋण दिया जाये। क्योंकि किसी किसी गांव में एक तालाब या कुण्ड होता है और वहीं से सभी सिंचाई करते हैं ऐसे मामलों में सम्पूर्ण गांव को एक इकाई माना जा सकता है। इसके अतिरिक्त कृषि मजदूरों के दिये जाने वाले ऋण पर ब्याज की दर जमींदारों को दिये जाने वाले ऋण की ब्याज की दर की अपेक्षा कम होनी चाहिये या जैसा कि मेरे मित्र श्री एस० सी० सामन्त ने सुझाव दिया है, श्रम को पूंजी के रूप में माना जाना चाहिये और उस कार्य के लिए ऋण दे देना चाहिए।

श्री साधन गुप्त (कलकत्ता दक्षिण-पूर्व) : कहा गया है कि यह विधेयक एक महान संस्था की अन्तिम क्रिया है। संभव है कि बड़े बड़े व्यापारी यह भूल जायें कि इस बैंक ने कभी उनके साथ कैसा व्यवहार किया था, परन्तु जन साधारण के लिए यह भूलना असम्भव है कि यह बैंक किस प्रकार इस देश के आर्थिक विकास में रोड़ा बनता रहा है। अतः इस सभा में चर्चा की प्रवृत्ति से हम देखते हैं कि इस संस्था के समाप्त होने पर किसी को कोई भी दुःख नहीं है।

सभापति महोदय : माननीय सदस्य सोमवार को बोल सकते हैं।

सभा का कार्य

सभापति महोदय : भारत का राज्य बैंक विधेयक, १९५५ पर चार घंटे विचार होगा और सोमवार, २५ अप्रैल १९५५ को समाप्त हो जायेगा, और बीमा (संशोधन विधेयक, १९५५ और रिज़र्व बैंक आफ इंडिया (संशोधन) विधेयक, १९५५ पर एक-एक घंटे के लिए विचार होगा।

इसके पश्चात लोक-सभा, सोमवार, २५ अप्रैल. १९५५ के ग्यारह बजे तक के लिये स्थगित हुई।

GIPD—HS—94 LSD—20-7-55—000